LOK SABHA DEBATES

(Part I -- Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eighteen of the Clock

Wednesday, September 23, 2020 / Asvina 1, 1942 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, September 23, 2020 / Asvina 1, 1942 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS **1-230**
(U.S.Q. NO. 2071-2300)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. Kirit P. Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakshi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, September 23, 2020 / Asvina 1, 1942 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, September 23, 2020 / Asvina 1, 1942 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 231

PAPERS LAID ON THE TABLE 231-37

COMMITTEE ON ESTIMATES 238
3rd to 5th Reports

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 238-41

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES 241-42
10th to 12th Report

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 242
24th to 31st and 32nd Reports

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES 242
Study Visit Report

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 108th AND 114TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE 242-43
AND
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 327TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE – LAID
Shri Arjun Ram Meghwal

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS / OBSERVATIONS IN 8th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY – LAID 243

Shri Arjun Ram Meghwal

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS / OBSERVATIONS IN 225TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS – LAID 243

Shri Arjun Ram Meghwal

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 2ND REPORT OF STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT – LAID 244

Shri Hardeep Singh Puri

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 6TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE – LAID 244

Shri Arjun Ram Meghwal

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 297TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY – LAID 244

Shri Arjun Ram Meghwal

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 7th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON FINANCE – LAID 245

Shri Arjun Ram Meghwal

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 2ND AND 6TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON LABOUR – LAID 245

Shri Arjun Ram Meghwal

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON THE PERSONAL DATA PROTECTION BILL 245

Extension of Time

MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE 246-71

COMPLIMENTS TO HON'BLE SPEAKER FOR SPECIAL ARRANGEMENTS MADE FOR THE SITTINGS DURING COVID – 19 272

@ MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 273

MAJOR PORT AUTHORITIES BILL 274-91

Motion for Consideration 274-75

Shri Mansukh L. Mandaviya 274-75, 286-88

Dr. Bhartiben D. Shyal 276-77

Shri Lavu Sri Krishna Devarayalu 278-79

Shri Anubhav Mohanty 280

Shri Kaushalendra Kumar 281

Shri P. Raveendranath Kumar 282

Shrimati Darshana Vikram Jardosh 283-84

Shri Gopal Shetty 285

Motion for consideration – Adopted 288

Consideration of Clauses 288-91

Motion to Pass 291

VALEDICTORY REFERENCE 292-93

Xxxx

@ Please see the Supplement (PP 273A TO 273Q)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, September 23, 2020 / Asvina 1, 1942 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS **PAGES**

XXX XXX XXX XXX

Xxx xxx xxx xxx

Xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 273-73Q

Shrimati Raksha Nikhil Khadse 273A

Shri Gopal Shetty 273B

Dr. Sanghamitra Maurya 273C

Shri Devendra Singh Bhole 273D

Shri Chhedi Paswan 273E

Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil 273F

Shrimati Shardaben Anil Patel 273G

Shri Jayant Sinha 273H

Shri Subrat Pathak 273-i

Shri Sushil Kumar Singh 273J

Shri A. Narayana Swamy 273K

Shri Bhanu Pratap Singh Verma 273L

Shri Sangam Lal Gupta 273M

Shri Manoj Tiwari	**273N**
Shri Vivek Narayan Shejwalkar	**273-O**
Dr. Shrikant Eknath Shinde	**273P**
Dr. Alok Kumar Suman	**273Q**

xxxxx

(1800/SPS/KMR)

1801 बजे

लोक सभा अठारह बजकर एक मिनट पर समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1801 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1801

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 1 से 7 तक, माननीय मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री राज नाथ सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी की ओर से, मैं प्रजननीय आयु में गर्भवती महिलाओं और कुपोषित महिलाओं हेतु निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) उत्तर भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(2) दक्षिण भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(3) पूर्वी भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(4) पश्चिम भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(5) मध्य भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(6) उत्तर-पूर्वी भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, डॉ. हर्ष वर्धन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 23 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (सचिव और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन विनियम, 2020 जो 20 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. संख्या. टीडीबी/14/2019/प्रशासन(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) निम्नलिखित संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष 2018-2019 की समाप्ति के पश्चात नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
(चार) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरी
(पांच) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर
(छह) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद

(5) (एक) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएंडडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री बाबुल सुप्रियो की ओर से, मैं जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 8 की उप-धारा (1 एवं 4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1850(अ), जो 11 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण में गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने और इस उद्देश्य के लिए 7 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1351(अ) और तत्पश्चात 21 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 897(अ) को संशोधित करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र) के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन संख्याक 1)।

(दो) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन संख्याक 2।

(तीन) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य, आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्रों के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन संख्याक 3।

(चार) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन संख्याक 1।

(पांच) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य, आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्रों के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2019 का

प्रतिवेदन संख्याक 2)

(छह) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र) के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 1)

(सात) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीपीएसई द्वारा स्कूलों में शौचालयों का निर्माण, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (वाणिज्यक) का प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन संख्याक 21) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(आठ) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, वित मंत्रालय के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 13) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

(नौ) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक- संघ सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय - सिविल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 10) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां)।

(दस) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आयकर विभाग में तलाशी और जब्ती निर्धारण सबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 14)।

(ग्यारह) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 11)।

(बारह) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय में जनशक्ति और संभारतंत्र प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (सिविल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 15)।

(तेरह) वर्ष 2018-2019 के लिए संघ सरकार के लेखाओं के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 4) (वित्तीय लेखापरीक्षा)।

(चौदह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रेल में रेल इंजनों का आकलन और उपयोग तथा एलएचबी डिब्बों के उत्पादन और रखरखाव के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रेल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 2) - (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

(पंद्रह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नौसेना और तटरक्षकबल के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक- संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 1)।

(सोलह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वायु सेना के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 12)।

(सत्रह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा टिप्पणी के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (सिविल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 6)।

(अठारह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा टिप्पणी के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 3)।

(उन्नीस) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे वित के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रेल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 8)।

(बीस) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडिया स्कीम से मर्चेंडाइज निर्यात (एमईआईएस) और इंडिया स्कीम से सेवा निर्यात (एसईआईएस) संबंधी निष्पादन लेखा परीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 5)

(इक्कीस) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रेलवे) का प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन संख्यांक 19) - (लेखा परीक्षा अनुपालन)।

(बाईस) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रक्षा ऑफसेट्स प्रबंधन के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं - थल सेना) का प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन संख्यांक 20) (निष्पादन लेखा परीक्षा)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2017-2018 के लिए जम्मू - कश्मीर सरकार - विनियोग लेखे।

(दो) वर्ष 2017-2018 के लिए जम्मू - कश्मीर सरकार - वित्त लेखे (खंड-I)।

(तीन) वर्ष 2017-2018 के लिए जम्मू - कश्मीर सरकार - वित्त लेखे (खंड-II)।

(चार) वर्ष 2018-2019 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।

(पांच) वर्ष 2018-2019 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे (भाग I - समीक्षा)।

(छह) वर्ष 2018-2019 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे (भाग II - विस्तृत विनियोग लेखे)।

(सात) वर्ष 2018-2019 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे [भाग II - विस्तृत विनियोग लेखे (अनुबंध - छ)]

(आठ) वर्ष 2018-2019 के लिए संघ सरकार - डाक सेवाओं के विनियोग लेखे ।

(नौ) वर्ष 2018-2019 के लिए संघ सरकार -विनियोग लेखे (सिविल) ।

*THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker Sir, on behalf of Shri Anurag Singh Thakur, I beg to lay on the Table a copy of the Union Government-Finance Accounts for the year 2018-2019 (Hindi and English Versions).

---

*Original in Hindi

COMMITTEE ON ESTIMATES

3rd to 5th Reports

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English Versions) of Committee on Estimates (2020-21):-

(1) 3rd Report of the Committee on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 26th Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Estimates And Performance Review Of All India Services' pertaining to the Ministry Of Personnel, Public Grievances And Pensions (Department Of Personnel and Training).

(2) 4th Report of the Committee on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 29th Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Preparedness of Armed Forces - Defence Production and Procurement' pertaining to the Ministry of Defence.

(3) 5th Report of the Committee on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 31st Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Import of Uranium For Nuclear Plants' pertaining to the Department Of Atomic Energy.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

1803 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020 agreed without any amendment to the Indian Instituted of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 2020."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020 agreed without any amendment to the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th September, 2020."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020 agreed without any amendment to the Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 16th September, 2020."

(iv) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020 agreed without any amendment to the Companies (Amendment) Bill, 2020, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th September, 2020."

(v) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020 agreed without any amendment to the National Forensic Sciences University Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th September, 2020."

(vi) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020 agreed without any amendment to the Rashtriya Raksha University Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th September, 2020."

(vii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th September, 2020 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

1804 hours

*SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd September, 2020 agreed without any amendment to the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st September, 2020."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd September, 2020 agreed without any amendment to the Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th September, 2020."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd September, 2020 agreed without any amendment to the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020."

(iv) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd September, 2020 agreed without any amendment to the Industrial Relations Code, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020."

---

*Original in Hindi

(v) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd September, 2020 agreed without any amendment to the Code on Social Security 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020."

(vi) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd September, 2020 agreed without any amendment to the Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020."

(vii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.3) Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th September, 2020 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(viii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.4) Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th September, 2020 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
10वां से 12वां प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) “रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा” के बारे में दसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) "आश्वासनों को छोड़े जाने के बारे में अनुरोध (माने गये)" के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) "आश्वासनों को छोड़े जाने के बारे में अनुरोध (नहीं माने गये)" के बारे में बारहवाँ प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

24th to 31st and 32nd Reports

SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR): Sir, I beg to present the Twenty-fourth to Thirty-first Reports (Original) and Thirty-second Report (Action Taken) (Hindi and English versions) of the Committee on Papers laid on the Table (2019-2020).

(1805/SNT/MM)

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

Study Visit Report

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I rise to lay on the Table, the Report (Hindi and English versions) of the Study Visit of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Guwahati, Itanagar, Imphal and Kolkata during November, 2019.

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 108TH AND 114TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

AND

STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 327TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMNET, FORESTS AND CLIMATE CHANGE – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Dr. Harsh Vardhan, I rise to lay the following statements regarding:-

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 108th and 114th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2018-19), (Demand No. 5) pertaining to the Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH).

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 327th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS/OBSERVATIONS IN 8TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Prakash Javadekar, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 8th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting.

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. जितेन्द्र सिंह की ओर से, मै उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 2ND REPORT OF STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT – LAID

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2020-21), pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 6TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Parshottam Rupala, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2019-20), pertaining to the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 297TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Pratap Chandra Sarangi, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 297th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 7TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON FINANCE – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of the Economic Affairs, Expenditure, Financial Services & D/o Investment & Public Asset Management, Ministry of Finance.

(1810/RK/SJN)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 2ND & 6TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON LABOUR - LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shrimati Smriti Zubin Irani, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2019-20) and 6th Report on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Textiles.

_____

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON THE PERSONAL DATA PROTECTION BILL - EXTENSION OF TIME

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I beg to move:

> "That this House do extend up to the second week of the Winter Session of the Parliament, 2020 the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय संसद के शीतकालीन सत्र, 2020 के दूसरे सप्ताह तक बढ़ाती है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे

1811 बजे

माननीय अध्यक्ष : श्री कुरूवा गोरांतला माधव जी।

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Thank you, Speaker, Sir. The Finance Commission's grants to urban local bodies are very crucial for the development of public amenities in the municipalities.

Under 14th Finance Commission, the total grant given to the urban local bodies was Rs.3,635 crore, and out of this, Rs.581 crore are still pending. The Government of Andhra Pradesh has submitted the required Utilization Certificates for the released grants and also demonstrated compliances for all reforms stipulated by the Central Finance Commission, that is up to date annual accounts, and improvement in municipal revenues. These amounts are very crucial to develop infrastructure, roads, water supply, protection of open spaces, and development of playgrounds.

The State of Andhra Pradesh is facing severe financial stress due to bifurcation and COVID-19 pandemic. Hence, I would request the Central Government, through you, Sir, to release the pending Rs.581 crore at the earliest.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, Subarnapur district in my parliamentary constituency is called the second Banaras. It is situated at the confluence of the rivers Tel, Ong and Mahanadi. Both, Subarnapur and Balangir districts have several ancient temples of historical, architectural, and religious importance dating from the 8th to the 13th century; for example, Patali Srikhetra, Papakshya Ghat, Bhima Bhoi Samadhi Pitha of the famous poet saint of Odisha whose poem is also inscribed in our Parliament as well as the UNO, ancient pre-historic caves in Puja Dunguri where the Goddess Chandli Pat has been worshipped by the tribal people since time immemorial. Balangir district is also famous for the Hari Shankar and Chounsath Yogini temples.

These temples need to be preserved and developed into places of heritage and religious tourism which will help the economy of the districts and generate employment opportunities. As we all know, Balangir is an aspirational district. Both these districts are home to the famous Sambalpuri weavers.

I would request the hon. Minister of Tourism to include Subarnapur and Balangir districts of Odisha, under the Swadesh Darshan Scheme, as heritage, spiritual or rural circuit. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जब भी बोलता हूं, तो मैं अपना स्टॉप वॉच चालू कर लेता हूं। मैं सबसे पहले एक छोटा सा अंश रखना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से इस कोविड-19 के बाद, दुनिया और विशेषकर भारत के इतिहास में, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तो कोविड-19 के बाद पहला सत्र आपने इतने सुन्दर तरीके से कराया है, आप उस अध्यक्षीय शासन पर बैठे थे, उस कुर्सी पर बैठे थे, यह दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा। आपने और माननीय सासंदों ने इस सदन को संचालित किया है। अध्यक्ष जी, इसे ज़ीरो ऑवर में मेरे हिस्से का भाग न माना जाए।

अध्यक्ष जी, जब हम लोग अगली बार के सत्र में आएंगे, तो मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि देश का एक बड़ा भाग जो बिहार है, जिसमें 12 करोड़ की आबादी रहती है, वहां चुनाव संपन्न हो चुके होंगे और एक नई सरकार बनेगी। मुझे यह विश्वास है कि वह सरकार हमारी होगी। जब हम लोग इस सदन में आते हैं, तो अपना संकट रखते हैं, समस्या रखते हैं, विषय रखते हैं, क्रोध रखते हैं और गुस्सा भी प्रकट करते हैं। लेकिन इस बार मैं आपके और इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और बिहार के तमाम सांसद जो सदन में आपके संरक्षण में काम करते रहे हैं, वे बिहार के विकास के लिए काम करते रहे हैं। मैं इस सदन और आपके माध्यम से उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिसका परिणाम हमें बिहार के चुनाव में निश्चित रूप से मिलेगा। (1815/GG/RK)

महोदय, देश के प्रधान मंत्री ने बिहार के लिए एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। मैं ईमानदारी से यह कहना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाई-पाई का हिसाब बिहार की जनता को दे दिया है और एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपये का निवेश बिहार में आ चुका है।

महोदय, चाहे वह सड़कों का काम हो, एनएचएआई का हो, बिहार की ग्रामीण सड़कों का हो, जैसे उदाहरण के तौर पर आजादी के पचास वर्ष बाद भी गंगा नदी पर सिर्फ चार पुल थे, आज वहां 16 पुल हैं, तो यही अपने आप में इस प्रकार की प्रामाणिकता देता है। महोदय, मैं तीस सैकेंड और लूंगा।

महोदय, पटना में पाटलीपुत्र, जो देश की राजधानी के रूप में जानी जाती थी, बिहार में हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे, वहां पर भी मेट्रो रेल का शिलान्यास हो गया है और देश के प्रधान मंत्री ने उस पर काम शुरू कर दिया है। आगे भी वहां, चाहे आंखों का अस्पताल हो, सुपरस्पेशियलिटी हो और कैंसर हॉस्पिटल हो, तरह-तरह से उपचार की सुविधा हो गयी है। देश के प्रधान मंत्री का एक बड़ा काम है, प्रधान मंत्री पैकेज के तहत एक बड़ी कल्पना है, क्योंकि पटना हवाई अड्डे का नाम

जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। जय प्रकाश जी उस आंदोलन के प्रतीक रहे हैं। वह एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम, जो देश में एक भी ऐसा विमानपत्तन नहीं है, उसका भी काम चुनाव के पश्चात माननीय प्रधान मंत्री जी पूरा कराएंगे।

महोदय, जैसे उदाहरण के तौर पर, सारण में अब हम लोगों ने उज्जवला से तो गैस पहुंचा दी। देश के प्रधान मंत्री ने हर जिले में गैस पहुंचाने का काम किया है, उसी तरह से, जैसे नल के पानी की तरह, वहां हर घर में रसोई की गैस पाइप नल से निकलेगी और घर में लोग पकाएंगे। इसकी भी योजना पूरे भारतवर्ष में है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार ने कदम से कदम मिला कर काम किया है। मैं बताना चाहूंगा कि एक सरल व्यक्ति, एक सज्ज्जन व्यक्ति, एक मेहनती व्यक्ति, बिहार के मुख्य मंत्री ने जिस प्रकार से पांच साल और पिछले 15 सालों में बिहार में काम किया है, वह इतिहास के पन्नों में जाएगा। देश के प्रधान मंत्री के साथ-साथ मैं बिहार के मुख्य मंत्री को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं बिहार वासियों को कहना चाहूंगा कि अगले चुनावों में जो परिणाम आएंगे, वे उन कामों पर होंगे, जो देश के प्रधान मंत्री और बिहार के मुख्य मंत्री ने बिहार में किए हैं।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री गोपाल शेट्ट एवं श्री सुनील कुमार पिन्टू को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): I would like to draw the attention of this House to the recent controversies regarding censure of free speech by social media platforms like Facebook, Twitter, and their affiliates in India. This poses a significant constitutional challenge not only on the grounds of unreasonable restriction of free speech but also amounts to illegal interference during elections.

Sir, Facebook, Twitter and similar foreign social media platforms claim themselves to be intermediaries under the IT Act. However, the key element of this definition is that the role of the intermediaries is limited to processing, storing and transmitting data of third-party users and does not include intervention on the content of the users. Therefore, Section 79 of the IT Act provides these intermediaries exemption from any liability. An intermediary receives protection that a regular publisher does not receive.

While this is the explicit spirit of the statute, the Information Technology (Intermediary Guidelines) Rules, while laying down what sort of third-party content may be prohibited by the privacy policy of the intermediary, go far beyond the scope of Article 19 (2) of the Constitution read with Sections 79 and 69 of the IT Act.

These guidelines are not only ultra vires the parent statute, but also unconstitutional as the grounds they provide for are so wide that they will fail the standards of constitutionality set out by the Supreme Court in Shreya Singhal case while striking down Section 66(A) of the IT Act. They are problematic because they empower private foreign enterprises performing essentially a public function to act as censors of free speech without Government oversight, thus effectively and severely impacting safeguards of fundamental right to free speech.

I, therefore, urge the Government to repeal such unconstitutional guidelines and issue new ones to govern social media platforms, thereby protecting the fundamental right to free speech of our citizens, especially those of the nationalistic approach. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, डॉ. निशिकांत दुबे, एवं श्री एस.सी. उदासी को द्वारा श्री तेजस्वी सूर्या उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहूंगा। महोदय, जिला हनुमानगढ़ में एक वॉशिंग लाइन का निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक है। भटिंडा जंक्शन जो, हनुमानगढ़ जंक्शन से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हनुमानगढ़ में वॉशिंगलाइन नहीं है, यहां पर 300 बीघा की ज़मीन रेलवे की भी पड़ी है। वहां पर सोलर प्लांट लगाने के लिए, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा। महोदय, उत्तर रेलवे के फिरोज़पुर रेलवे मंडल ने अमृतसर से श्रीगंगानगर होते हुए बीकानेर तक एक रेल लाइन की स्वीकृति प्रदान की थी। एक गरीब रथ रेलगाड़ी की स्वीकृति प्रदान की थी, उसका भी संचालन नहीं हुआ है।

(1820/KN/PS)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करूँगा कि पूर्वी रेलवे द्वारा संचालित गाड़ी नंबर 13007 और 13008 हावड़ा-श्रीगंगानगर हावड़ा उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस, जो सबसे पुरानी रेल चल रही थी, उसको विभाग ने बंद करने का प्रस्ताव किया है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र से चलने वाली ये रेल सेवाएँ बहुत पुरानी हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करूँगा कि इन पर केन्द्र सरकार कृपा करके ध्यान दे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री रामचरण बोहरा को श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री चन्द्र सेन जादौन – उपस्थित नहीं।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदय, केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड की जीवनदायिनी और महत्वाकांक्षी योजना है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड कम वर्षा के कारण अकसर सूखे की समस्या से ग्रसित होता रहता है। मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी सहित सागर, दमोह, पन्ना, दतिया और आस-पास के जो जिले हैं, उनके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड जिला है, उन जिलों में सूखे के कारण जहां एक ओर किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है, वहीं उनको पेयजल की गम्भीर समस्या का सामना भी करना पड़ता है।

सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय ऐसे राज्यों में जहां पर नदियों में अकसर बाढ़ आती है, ऐसी बाढ़ वाली नदियों का पानी और जिन राज्यों में कम पानी गिरता है, उनको आपस में जोड़ कर वहां पर पानी पहुंचाए जाने के लिए, इन नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना बनाई गई थी। बीच में 10 वर्ष जो यूपीए की सरकार आई, उन 10 वर्षों के कार्यकाल में नदियों को आपस में जोड़ने के काम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके कारण काफी कठिनाइयों का सामना बुंदेलखंड के किसानों और निवासियों को करना पड़ रहा है।

आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद पिछले 6 वर्षों में केन-बेतवा नदी को जोड़े जाने का काफी काम हुआ है। इसके कारण बुंदेलखंड में विशेष रूप से टीकमगढ़ और छतरपुर क्षेत्र के लोगों में एक आशा और विश्वास का संचार हुआ है। सरकार की नीति नदियों को आपस में जोड़ने की है। किसानों के हितों और पेयजल की गम्भीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए केन-बेतवा नदी को जोड़ने का कार्य शीघ्र पूरा करके इस योजना को प्रारम्भ किया जाए। इससे लगभग 445 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिसमें टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी जिले के 60 लाख परिवारों को पेयजल भी मिलेगा। साथ ही बुंदेलखंड के सभी जिलों में किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार और पेयजल की गम्भीर समस्या का निराकरण भी होगा।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम शीघ्र पूरा करके बुंदेलखंड के निवासियों को इसका लाभ दिलाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के माध्यम से उन मछुआरों की दयनीय स्थिति को बताना चाहता हूँ, जो पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से पाकिस्तान की जेल में बंद है। गुजरात के लगभग 271 मछुआरे, जिनमें ज्यादातर गिर-सोमनाथ के हैं। पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से पाकिस्तान ने बंदी बना कर रखा है।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के निरंतर प्रयास के उपरांत पाकिस्तान सरकार ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान 201 मछुआरों को जेल से रिहा किया है। लेकिन इन मछुआरों को पाकिस्तान से रिहा नहीं किया गया है। उपर्युक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जेल से इन 271 मछुआरों की शीघ्र रिहाई के लिए कृपा करके कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं आपकी जानकारी और अवलोकन के लिए गिरफ्तार मुछआरों की सूची संलग्न करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री देवजी पटेल और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आप टेबल कर दें। सूची रिकार्ड में आ जाएगी।

श्री नायब सिंह सैनी।

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में अपने लोक सभा क्षेत्र की एक अति महत्वपूर्ण समस्या को उठाने का मौका दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पटियाला से हरिद्वार तक सड़क, जो कि मेरे लोक सभा क्षेत्र चीका, पेहवा, कुरुक्षेत्र, लाडवा, रादौर व यमुनानगर से होते हुए लगभग तीन राज्यों को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को जोड़ता है, की ओर दिलाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, यह रोड सिंगल है। इस पर ट्रैफिक का भारी दबाव है। उसके साथ ही इस रोड पर लगभग 7 अनाज मंडी, 3 सब्जी मंडी व चीका में एक बड़ी मार्बल मार्किट तथा यमुनानगर में बड़ी लकड़ मंडी और 2 चीनी मिल पड़ती है, जिस कारण से किसानों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस रोड की कुल लम्बाई 230 किलोमीटर है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सड़क व परिवहन मंत्री जी को यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस सड़क को फोर लेन किया जाए। (1825/CS/PS)

इस रोड के ऊपर भारी ट्रैफिक रहता है और उससे किसानों को दिक्कत आती है। इस रोड के फोर लेन होने से इसके ऊपर होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। ऐसा होने से किसानों और आम जनता को इसका लाभ मिल सकेगा। धन्यवाद।

श्री विजय कुमार (गया): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र गया में दक्षिण बिहार नाम से केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। हम सदन के माध्यम से माननीय केन्द्रीय मंत्री जी से माँग करते हैं कि इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नामकरण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से किया जाए।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): महोदय, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार राज कर रही है, उसने मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरू के अंदर बीते हुए 22 महीनों में 100 मीटर भी रोड बनाने का काम नहीं किया है। क्षेत्र के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं, चाहे तारानगर से चुरू की सड़क हो, चाहे तारानगर से साहवा-नोहर की हो, चाहे वह भादरा से लेकर साहवा की हो, चाहे राजगढ़ से लेकर शिवमुख की हो, झुंझुनू की हो, उन सभी सड़कों की इतनी बुरी स्थिति है, जिसके बारे जितनी चर्चा की जाए, वह कम है। वहाँ पर रोज दुर्घटनाएं होती हैं और उन सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। राजस्थान की सरकार बिल्कुल सोई हुई है। बीते हुए दो साल पहले हमने भारत सरकार से सिरसा-

नोहर-साहवा-तारानगर और चुरू का एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवाया था, जिसकी डीपीआर का काम भी पूरा हो चुका है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर राजस्थान सरकार रोड बनाने में सक्षम नहीं है तो जो सैंशन रिपोर्ट है, जो डीपीआर आ चुकी है, इस रोड को स्वीकृत किया जाए और जो तारानगर-चुरू की महत्वपूर्ण रोड है, उस रोड को नेशनल हाइवे घोषित करके उसका काम चालू किया जाए। मैं आपसे ऐसी विनती करता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली): महोदय, इस वर्ष ओलावृष्टि और बाढ़ के कारण बिहार का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह प्रभावित रहा है। करीब 50 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ की चपेट में आई है। वहाँ के किसानों की खरीफ की फसल बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अधिकांश सड़कें टूट गई हैं और मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली के अंतर्गत मीनापुर, पारू, कांटी, बरुराज, साहिबगंज, वैशाली विधान सभाएं बाढ़ से कुछ ज्यादा ही प्रभावित रही हैं। इन क्षेत्रों के कई बाँध टूट गए और यहाँ किसानों की 80 प्रतिशत से ज्यादा फसल प्रभावित हुई है। हमारे किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से यथासंभव बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है, परन्तु केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना लोगों की मुश्किल कम नहीं होगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से माँग करती हूँ कि वह बाढ़ पीड़ितों की मदद करे और टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कराए। धन्यवाद।

कुमारी प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की दृष्टि अपने राज्य की तरफ दिलाना चाहती हूँ। मेरे राज्य में एक ही बड़ा रेफरल अस्पताल है। अभी जो कोरोना चल रहा है, इसके संदर्भ में और पहले से भी त्रिपुरा में एक एम्स जैसा अस्पताल बनाने की हम लोगों की माँग रही है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक ही अस्पताल टीएमसी है, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। उसमें पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके पास जमीन भी है।

मैं आपके माध्यम से त्रिपुरा की ओर से हेल्थ मंत्रालय को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह वहाँ पर एम्स जैसा एक अस्पताल स्थापित करे। हम लोगों ने जो माँगा था, मोदी जी ने पिछले 6 सालों में हमें उससे ज्यादा दिया है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमें राजधानी मिलेगी। उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की तरफ से हम लोगों को, नॉर्थ ईस्ट को वॉटरवेज का रूट भी खोलकर दिया है। रेलवेज का रूट बांग्लादेश के अंदर से हुआ है और रोड कंस्ट्रक्शन भी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। हमने जो माँगा है, उससे ज्यादा पिछले 6 सालों में मोदी जी ने हमें दिया है।

(1830/RV/SNB)

सर, मैं आपके माध्यम से सरकार की दृष्टि हेल्थ सेक्टर की ओर ले जाना चाहती हूं कि हम लोगों को एम्स जैसा हॉस्पिटल मिले। टी.एम.सी. हॉस्पिटल का अधिग्रहण करके इसे किया जाए। इसके लिए पूरी जमीन भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत है, इसलिए उसे केन्द्र सरकार अधिग्रहण करे और हमें तथा नॉर्थ-ईस्ट को एक और एम्स हॉस्पिटल दे।

SHRI C. LALROSANGA (MIZORAM): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak during the `Zero Hour'.

Sir, I wish to bring to the notice of the Government the urgent need for carrying out its instructions issued nearly two years back to shift the unit of Assam Rifles from the heart of Aizawl, the capital of Mizoram to their designated location at Zokhawsang on the outskirts of the city.

The Ministry of Home Affairs, in their Office Memorandum to the Assam Rifles dated 19th February 2019, had directed the oldest Para-Military Forces in the country to shift their units from the capital city of Aizawl to Zokhawsang by 31st May, 2019. Regretfully, this direction of the Ministry has so far not been carried out.

The Assam Rifles have been handed over as many as 289 buildings out of 327 buildings constructed for them for shifting their units to Zokhawsang and an approach road has already been made for them. There have been undesirable incidents in the past between the Para-Military Forces and the civilians in the capital city. The tragic incident of firing on civilians of Aizol in 1988 following an altercation between the Para-Military Forces and civilians are still fresh in memory. Ten persons lost their lives in that unfortunate incident. These types of unfortunate incidents should be avoided at all costs. There have been recent instances of misunderstanding and altercation as well. These types of incidents have to be avoided at all costs.

Sir, I would like to request the Central Government to positively ensure that the units of Assam Rifles are expeditiously shifted out of Aizawl city to avoid any possible friction and misunderstanding in the future.

Thank you.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बिहार में एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 है, जो पटना से शुरू होकर दो-दो जिला मुख्यालयों - अरवल और औरंगाबाद - होते हुए झारखण्ड की ओर जाती है। इस राजमार्ग की लम्बाई बिहार में 156 किलोमीटर है और यह तीन-तीन राज्यों का सम्पर्क पथ है। यह राजमार्ग बिहार से झारखण्ड जाती है और छत्तीसगढ़ जाने का भी रास्ता इसी से है। वैसे, इस रास्ते से लोग उत्तर प्रदेश की ओर भी जाते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि अभी यह सड़क केवल 2-लेन है जबकि इस सड़क पर यातायात का भारी दबाव है। मालवाहक गाड़ियों और पैसेंजर गाड़ियों का भी उस पर दबाव है।

महोदय, मैंने कई बार अपनी इस मांग को सदन के माध्यम से भी सरकार के सामने रखा है, लेकिन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का यह कहना है कि इस सड़क पर परिचालित गाड़ियों

की संख्या कम है, इसलिए इसे 4-लेन नहीं किया जा सकता। मैंने उन्हें इसकी चुनौती देते हुए कहा कि यह सर्वे गलत है और यह सर्वे वर्ष 2011 का है, जब यह सड़क अत्यंत ही खराब स्थिति में थी। यह ठीक है कि उस समय इस सड़क पर कम गाड़ियां चलती थीं, लेकिन जब से यह 2-लेन सड़क अच्छी बनी है, उसके बाद से इस पर गाड़ियों का परिचालन बहुत अधिक बढ़ गया है और इस पर बहुत अधिक दबाव है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी की सोच के तहत जो देश के अन्दर 115 आकांक्षी जिले बनाए गए हैं, उनमें हमारा औरंगाबाद जिला भी आता है। उसका विकास करके उसे देश के औसत विकास के ऊपर लाना है।

महोदय, आपके माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से मेरी मांग है कि इस सड़क को 4-लेन किया जाए। यह उग्रवादग्रस्त और बहुत ही पिछड़ा इलाका है। इसको 4-लेन करना वहां के आम आदमी, किसान, व्यापारी, सभी के लिए हितकर होगा

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' (अकबरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी जहां किसानों को स्वावलम्बी बनाने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, वहीं विगत यू.पी.ए. सरकार की गलतियों के कारण मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं।

(1835/MY/RU)

महोदय, मैं कानपुर नगर और कानपुर देहात में विद्युत के संबंध में आपसे कहना चाहता हूँ कि जो किसान अपना प्राइवेट ट्यूबवेल लगाता है, उन ट्यूबवेलों को तीन-तीन साल तक सामान नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण यह पता नहीं लगता है कि उसका लक्ष्य पूरा हो गया है। इस संबंध में जब मैंने विभागीय अधिकारियों और उनके प्रबंध निदेशक से बात की तो उन्होंने कहा कि चूंकि एक साल में 35 हजार का लक्ष्य है और 45 हजार हमारी पेंडेंसी बाकी है। इस तरीके से तमाम किसानों की सिंचाई का नुकसान हो रहा है। इसलिए, आपसे निवेदन है कि आप इस विषय में हस्तक्षेप कर किसानों की समस्या को दूर करने का कष्ट करें।

दूसरा, सौभाग्य योजना के तहत डीडीजेएवाई के बारे में सौभाग्य-1 और सौभाग्य-2 का जो लक्ष्य रखा था, आज भी सौभाग्य योजना के तहत कई लक्ष्य अधूरे हैं। इसके संबंध में हमने विगत महीने कानपुर नगर और कानपुर देहात के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके उनसे कहा कि अगर कोई छूट गया है तो उनको भी सौभाग्य-3 में शामिल किया जाए और किसी भी गाँव एवं बसावट को नहीं छोड़ा जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन समस्याओं पर ध्यान देते हुए कार्य को पूर्ण कराने की कृपा की जाए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सुजय विखे पाटील को श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना चाहूँगा। जयपुर की लाइफ लाइन कही जाने वाली और जयपुर सहित आसपास के क्षेत्र में पीने के पानी के एकमात्र स्रोत के रूप में पहचान रखने वाला रामगढ़ बाँध आज पूरी तरह से सूख चुकी है। यह बहुत ही दुख की बात है। एक समय में यहाँ पर 64 फीट पानी था। वर्ष 1982 में जब हमारे यहाँ एशियन गेम्स हुए थे तो रोइंग के इवेन्ट्स भी यही हुए थे। आज यह हालत है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण, यहाँ जो कैचमेन्ट एरिया है, उसमें पूर्ण रूप से एन्क्रोचमेन्ट्स हो चुके हैं। कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया है और वहाँ फार्म हाउसेस बना लिए हैं। उसकी हालत यह है कि यहाँ पर आज एक बूँद भी पानी नहीं है। इस बाँध के सूख जाने के कारण लाखों की आबादी वाला जयपुर शहर आज पानी के लिए तरस रहा है।

महोदय, इसे दोबारा जीवित करने के लिए कई एनजीओज़, जनप्रतिनिधि और मीडिया लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सेल्फ कॉग्निजेन्स लेते हुए कई बार प्रशासन से इस पर कार्रवाई करने करने को कहा और नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

महोदय, आज मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी तक यह बात पहुँचाना चाहूँगी कि जयपुर की इस लाइफ लाइन और हेरिटेज को बचाया जाए। यह जो बाँध है, इसकी नींव वर्ष 1897 में रखी गई थी। यह बाँध 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह बाँध हमारे राजस्थान का हेरिटेज भी है।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि इस बाँध को बचाया जा सके। राज्य में जो सरकार है, वह भी इसके बारे में कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझे आगे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कोई कार्रवाई करेगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सुजय विखे पाटील, श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, श्री रामचरण बोहरा और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को सुश्री दिया कुमारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों की सक्रियता को देख रहा हूँ। आज भी लोक महत्व के विषय को उठाने के लिए एक लंबी सूची मेरे पास है। आप सब अपने-अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं, समस्याओं और उनकी कठिनाइयों को सदन के माध्यम से राज्यों और केन्द्र की सरकारों को अवगत कराते रहते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, क्योंकि समय कम है, अगर आप अपनी बात एक मिनट में कह देंगे तो मैं सूची पूर्ण कर लूँगा। क्या सदन इसके लिए तैयार है?

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस सदन के माध्यम से जल संरक्षण की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य हो रहा है। कृषि के क्षेत्र के विकास और किसानों की समृद्धि के लिए यह बहुत ही जरूरी काम है। उनके लिए हमने प्रयास किया कि सुरक्षा के अपेक्षित परिणाम आएं।

(1840/CP/NKL)

महोदय, मेरे बलिया क्षेत्र में विधासभा के दो विधायक जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, श्री उपेन्द्र तिवारी और श्री आनंद स्वरूप शुक्ला, उन्होंने जल संरक्षण का जो काम किया है, वह बेमिसाल काम है। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मनरेगा को कृषि की जुताई, गुड़ाई और कटाई से जोड़ देने से भी खेती की लागत कम हो जाएगी, किसानों की समृद्धि बढ़ जाएगी। यह काम मनरेगा से अगर हुआ, तो खेती में लेवलिंग का काम, मेड़ पर पेड़ लगाने का काम, जल संरक्षण का काम इससे हो सकेगा।

अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी झील सुरहा ताल है। उस ताल के पानी को, जल मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम इनको आज ही आमंत्रित कर देता हूं कि ये वहां चलेंगे तो जल संरक्षण का काम बहुत विस्तार से हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष : श्री उदय प्रताप सिंह, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री देवजी पटेल और श्री रवि किशन को श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से केंद्रीय आयुष मंत्री जी का ध्यान हिमाचल प्रदेश में होम्योपैथी को बढ़ावा देने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज विश्व में एलोपैथी के बाद होम्योपैथी सबसे ज्यादा प्रचलित है, चाहे हम अमरीका की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें या फिर हमारा देश भारत भी इसमें अग्रणी देश है। वर्ष 2005 में इस देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया और वैकल्पिक स्वास्थ्य पद्धति को बढ़ावा देने की ओर बल दिया गया।

मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग ढाई हजार के करीब एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, डेढ़ हजार के करीब आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन केवल मात्र 14 होम्योपैथिक सेंटर्स हैं। पिछले 25 वर्षों में एक भी होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला है। यहां एक होम्योपैथिक कॉलेज है जिससे लगभग प्रतिवर्ष 700 डॉक्टर्स निकलकर पास आउट होते हैं, लेकिन पिछले 25 वर्षों में एक भी होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला गया। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में होम्योपैथी को बढ़ावा देने की ओर उचित कदम उठाए जाएं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सुजय विखे पाटील और श्री रवि किशन को श्री सुरेश कश्यप द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

एक मिनट बाद अपने आप माइक बंद हो जाएगा।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

The Government of India, under the Pradhan Mantri Awas Yojana had generously sanctioned 12,32,237 houses to Andhra Pradesh. This was in 2015. The Government of Andhra Pradesh had completed the construction of 84,000 houses, while another 75,000 houses were close to completion. Beneficiary

selection had been completed and the beneficiaries have been waiting to take their houses since the end of Elections in 2019.

After the Elections, the YSR-led Government started following their *modus operandi* of vendetta politics, and the houses constructed during the TDP regime have been kept idle. After nearly 16 months, handing over of the houses to beneficiaries is eagerly awaited. …(*Interruptions*) The COVID-19 pandemic has put further strain on them financially. …(*Interruptions*)

Therefore, I request the hon. Minister for Housing and Urban Development to take immediate steps to ensure that the beneficiaries are handed over the houses under the PMAY at the earliest. …(*Interruptions*) Such a step by the Government of India would go a long way in ensuring comfortable and dignified living of the poor. …(*Interruptions*)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो मेरे क्षेत्र से संबंधित है, उस पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र के अंतर्गत दानापुर विधान सभा क्षेत्र में दानापुर छावनी परिषद के अधीन 100 वर्षों से अधिक चालू सर्वे बैरक नंबर 1 लोधीपुर, चांदमारी रोड को अकारण, जबरन दानापुर कन्टोनमेंट के सैन्य अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया। इससे दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं। पूर्व में माननीय पूर्व रक्षा मंत्री के आदेशानुसार आदेश संख्या दिनांक 14.9.2018 के अनुसार पांच रास्तों को खोलने का आदेश हुआ था। यह पूरे देश के पैमाने पर हुआ था और हमारे क्षेत्र में हुआ था। वह आदेश अभी तक है। इसके बावजूद दानापुर के कन्टोनमेंट में आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, रक्षा मंत्री जी से मैं दो बार मिल चुका हूं, सीडीएस से भी मैंने अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं खुला है। वहां एक शिक्षण संस्थान भी है, एक बड़ी आबादी है और हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहां लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। लोगों को 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से पुन: निवेदन करूंगा कि वे हस्तक्षेप करें और दानापुर कन्टोनमेंट का रास्ता जो चांदमारी से है, उसको और जो चार अन्य रोड हैं, उन्हें खुलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सुजय विखे पाटील और श्री रवि किशन को श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1845/NK/KSP)

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Hon. Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to raise a very important matter relating to my constituency and this is regarding the upgradation of State Highways to National Highways.

Sir, first of all, I am very grateful to the hon. Prime Minister and the hon. Minister of Road Transport and Highways for sanctioning the upgradation of Bellary-Hospet-Koppal-Gadag-Hubli National Highway 63 into four-lane which is near completion. The department concerned has already submitted the DPR to the Central Government. In the interest of the welfare of the State and also to meet the demands of the public and farmers, it is very much necessary to upgrade the following State Highways into National Highways and they are, Koppal-Shiggaon for about 120 kms., Raichur-Ginigera for about 140 kms., and Sindnoor-Naragund *via* Kustagi Gagendragada which is a length of about 157 kms.

The farmers of Koppal District of Karnataka grow plenty of pomegranates, banana, grapes and mangoes; and especially pomegranates are getting exported to various countries. In order to explore newer markets for the fruits, strengthening of road transport is very much necessary.

So, I humbly request the hon. Minister of Road Transport and Highways to kindly consider the request for the upgradation of these State Highways to National Highways.

श्रीमती रेखा अरुण वर्मा (धौरहरा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहती हूं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत भारत सरकार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. पीएमकिसान.गवर्नमेंट.इन पर तहसील मितौली जनपद लखीमपुरखीरी प्रदर्शित नहीं हो पा रही है। इसके कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र के तहसील मितौली के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि भारत सरकार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. पीएमकिसान.गवर्नमेंट.इन तहसील मितौली जनपद लखीमपुरखीरी को प्रदर्शित करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री रविंद्र श्यामनारायण उर्फ रवि किशन को श्रीमती रेखा अरुण वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम का आज जन्मदिन भी है।

श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम (जामनगर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कोविड की स्थिति में जिस तरह से सत्र कन्डक्ट किया है। उसके लिए मैं आपको अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूं। हम सभी सदस्य सोच रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में सदन कंडक्ट कैसे होगा, हम सब अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी थोड़े से भयभीत थे। इस स्थिति में भी आपने बहुत अच्छे से हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखकर सदन कन्डक्ट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज मेरे जन्मदिन पर आपने चेयर से विश किया, उसके लिए भी आपकी आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री देवजी पटेल (जालौर): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा। मेरे लोक सभा क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान और पूरे देश में आदर्श सोसायटी द्वारा लोगों से पैसे ले लिए और उसे वापस नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, वहां मैनेजमेंट कमेटी जेल में है। सरकार ने लिक्विडेटर नियुक्त किया है लेकिन ईडी और डीआरआई अन्य विभागों द्वारा आदर्श की सारी प्रोपर्टी सीज कर दी गई है। जब लिक्विडेटर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा?

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री देवजी पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जैसे यस बैंक को उबारा, उसी तर्ज पर आदर्श सोसायटी में भी प्रशासक नियुक्त करके उसकी अटैच प्रोपर्टी को फ्री करके जो पैसा है उस पैसे को वापस गरीबों को लौटाया जाए, तभी गरीब सुख-शांति से जी पाएगा। यही मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Hon. Speaker, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity for raising a matter of urgent public importance pertaining to my constituency.

Sir, I would like to raise the matter regarding Donakonda Aerodrome in my Ongole Parliamentary Constituency in Andhra Pradesh. This was built during the British period and later on it had been abandoned. Now, a lot of industries are going to come up in this area. Our hon. Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu is interested in developing an industrial corridor in that place.

(1850/KKD/SK)

Now, the Indian Navy is also setting up a big unit called VLF station there and 2,500 acres of land has been allotted with an investment of Rs. 800 crore. An Army lab is also coming up in that area.

So, I would request the hon. Minister to kindly revive the Donakonda Aerodrome so that people can travel freely. An express highway from Amaravati to Anantapur is also operating in that station. Thank you.

श्री अकबर लोन (बारामूला): माननीय स्पीकर सर, जैसा कि आपको और सदन में सब लोगों को इस चीज का इल्म है कि जम्मू-कश्मीर में जो फ्रूट पैदा होता है, उसे मुल्क की दूसरी मंडियों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की असल जरूरत होती है। वक्त पर गाड़ियां लोगों को नहीं मिलती हैं, इस वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है और अक्सर मेवा सड़ जाती है क्योंकि रास्ते में मेवा रोकी जाती है।

मेरी आपके वसादत से मंत्री महोदय से गुज़ारिश है कि मुतालक्का गवर्नमेंट को मुत्तला करे कि इन गाड़ियों को रास्ते में रोके बगैर आगे जाने की इज़ाजत दें ताकि इनमें जो भी मेवा वगैरह लानी हो या लेनी हो, उनको तकलीफ न हो।

جناب محمد اکبر لون (بارہ مولہ): جناب اسپیکر صاحب، جیسا کہ آپ کو اور اس ایوان مین سب لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ جموں و کشمیر جو جو فروٹ پیدا ہوتا ہے، اسے ملک کی دوسری منڈیوں تک پہنچانے کے لئےگاڑیوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ وقت پر گاڑیاں لوگوں کو نہیں مل پاتی ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اکثر میوہ سڑ جاتی ہے کیونکہ راستے میں میوہ روکی جاتی ہے۔

میری آپکی وسادت سے منتری جی سے گزارش ہے کہ متعلقہ گورنمنٹ کو اطلاع کریں کہ ان گاڑیوں کو راستے میں روکے بغیرآگے جانے کی اجازت دیں تاکہ ان میں جو بھی میوہ وغیرہ لانی ہو لینی ہو ان کو تکلیف نہ ہوے۔ شکریہ

श्री रमाकान्त भार्गव (विदिशा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया।

मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर फोर लेन सड़क की स्वीकृति के बाद सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य एनएचआई के माध्यम से किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में बरखेड़ा से बूंदी तक 12.50 किलोमीटर लंबी सड़क रातापानी वन्य प्राणी अभ्यारण के क्षेत्र में आती है। इस क्षेत्र में फोर लेन सड़क निर्माण कार्य की अनुमति प्राप्त नहीं होने से सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो पा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री महोदय से अनुरोध है कि रातापानी वन्य प्राणी अभ्यारण क्षेत्र में फोर लेन सड़क निर्माण कार्य को एनओसी प्रदान करने का कष्ट करें ताकि भोपाल-नागपुर फोर लेन सड़क मार्ग पर आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री सय्यद इम्तियाज जलील (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कहा गया है - water is right to life. लेकिन हमें इस राइट से महरूम रखा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस कांस्टीटुएंसी से आता हूं, वहां आज भी सात या नौ दिन के बाद पानी मिलता है। इस बार इतनी अच्छी बारिश हुई और शहर को जायकवाड़ी डैम से पानी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, लेकिन इसका पानी 55 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में ला नहीं सकते हैं, पिछली सरकारों की नाकामियां रही होंगी, लेकिन आज गेट्स खोलकर पानी को बहाया जा रहा है। अब सरकार ने 1680 करोड़ रुपये की स्कीम की घोषणा की है।

यहां जल शक्ति मंत्री बैठे हुए थे, मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि आप मेरा नाम पुकारें, लेकिन इससे पहले वह उठकर चले गए। सरकार ने वादा किया है – "हर घर जल"। मेरा अनुरोध है कि इस स्कीम के तहत औरंगाबाद को केस स्टडी पर लिया जाए और सरकार अपनी सक्सैस स्टोरी बोलकर प्रोजेक्ट करे कि इस शहर में, जहां सात दिन बाद पानी मिलता था, डेढ़-दो साल में हर रोज पानी प्रोवाइड कराने का इंतजाम किया गया है।

मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं कि 70 सालों बाद भी अगर सात या नौ दिन बाद पानी मिल रहा है तो हम सबके लिए बड़े शर्म और अफसोस की बात होनी चाहिए। हमें इतने सालों बाद भी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हम बड़ी बातें करते हैं, बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं कि जब पांच दिन बाद पानी आता है तो महिलाओं को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं।

श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय देवरिया शहर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727 गुजरती है। यह सड़क उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ती है। इस सड़क की हालत भारी वाहनों के आने-जाने से बहुत जर्जर हो गई है। यहां भारी वाहनों के गुजरने से लंबा जाम भी लग जाता है और आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। इससे व्यापार में भी काफी क्षति होती है और व्यापार काफी प्रभावित होता है।

(1855/MK/RCP)

इस परेशानी को देखते हुए दिनांक 25.01.2018 को सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी एवं तत्कालीन सांसद और उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जी की मौजूदगी में सोनू घाट से बैतालपुर, देवरिया बाईपास रोड रिंग रोड का शिलान्यास किया गया था। परन्तु, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक उस पर कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण वहां की स्थानीय जनता में क्षोभ है। लोग इसको मुद्दा बनाकर हम सबसे शिकायत करते हैं। इस संबंध में हमने कई बार संबंधित अधिकारियों से बात की, परन्तु, हमें वहां से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अत: मैं सदन में आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए, जो भी प्रशासनिक और वित्तीय परेशानी आ रही है, उसे अविलम्ब दूर करके, जनहित में सोनू घाट से बैतालपुर, देवरिया बाईपास रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सुजय विखे पाटील को श्री रमापति राम त्रिपाठी सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भगवंत खुबा (बीदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। खासकर मैं यशस्वी प्रधान मंत्री जी और कृषि मंत्री जी को किसान भाईयों की ओर से धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के अंदर बीदर, गुलबर्गा और यादगिर जिला जो स्वतंत्रता से पूर्व निजाम सरकार में थे, उसके बाद वहां के गोंड समाज के लोग केंद्र सरकार की एस.टी कैटेगरी में आते हैं। उसी गोंड समाज का सिनोनिमस शब्द कुरुबा है। इन तीनों जिलों के कुरुबा समाज को केंद्र सरकार की एस.टी कैटेगरी लिस्ट में शामिल किया जाए। यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भगवंत खुबा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, हम आपके विशेष रूप से आभारी हैं कि आपने हमें शून्य काल में बोलने का अवसर दिया। विशेष रूप से, इसलिए भी आभारी हैं कि यदि मैं सदन में

बिना एक शब्द बोले वापस लौट जाता तो जनता का कोपभाजन बनता। जनता ने हमें झोली भरकर वोट दिया है। करीब पांच लाख से हमें जिताया।

अध्यक्ष महोदय, आप हैं तो यह मुमकिन हो रहा है, क्योंकि, इसके पूर्व भी हमने दो-दो अध्यक्ष को देखा, कभी अवसर नहीं मिलता था, जिस तरह से आपने सभी को अवसर देने का काम किया है।

मेरे क्षेत्र में सेल का बोकारो स्टील प्लांट और कोलरिया हैं। लेकिन, समस्या सेल के पूरे कर्मचारियों की है। उनका पे रिवीजन पिछले कई वर्षों से लंबित है। वे बेचारे निराशा की स्थिति में हैं। पिछले दो सालों से सेल लगातार प्रोफिट में है, फिर भी उनका पे रिवीजन नहीं हो पा रहा है। अत: मैं स्टील मिनिस्ट्री और पूरी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी बाधा है, उसको दूर करके सेल के कर्मचारियों का पे रिवीजन किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. सुजय विखे पाटील को श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय कुमार मंडल - उपस्थित नहीं

श्री मोहन एस. देलकर जी।

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नागर हवेली): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बहुत सुचारु रूप से सदन को चलाया। यह आपकी खूबी है, इसलिए, सभी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप सबको मौक दे रहे हैं।

आज पूरे देश में लोग कोरोना संकट के कारण विकट परिस्थिति में हैं। मेरा प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव भी है।

(1900/YSH/SMN)

ऐसी स्थिति में वहाँ का प्रशासन निर्णय लेकर, वहां पर जो कॉलोनी बनी है, उसे खाली करवाने के लिए नोटिस जारी कर रहा है। आज आर्थिक स्थिति भी बहुत गंभीर है। लोग बहुत परेशान हैं और ऐसी स्थिति में ऐसे नोटिस निकालना ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और खासकर गृह मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी जी यहां पर बैठे हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इसमें तुरन्त दखल दें। लोग बहुत परेशान हैं। इस तरह के नोटिस बंद किए जाएँ और एक पॉलिसी बनाई जाए, जिसके अन्तर्गत सभी कॉलोनीज़ को रेगुलर करने का काम किया जाए। जैसे भारत सरकार ने किया है, वैसे ही वहाँ के लिए भी निर्णय लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : रमेश जी, इस सदन में जो कभी नहीं बोले हैं, उनका पहले नम्बर आएगा। आपका नम्बर बाद में आएगा।

श्री ए. नारायण स्वामी जी।

SHRI A. NARAYANA SWAMY (CHITRADURGA): Sir, I would like to speak about the Corporate Social Responsibility Fund Utilisation.

CSR is said to increase reputation of a company's brand among its customers and society. The Companies Act, 2013 has formulated Section 135, Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 and Schedule VII which prescribes mandatory provisions for companies to fulfil their CSR activities of two per cent out of their three years average profit. The types of Corporate Social Responsibility are environment conservation, diversity and labour practices. The same is implemented even by the small businesses. One way to demonstrate your commitment to Corporate Social Responsibility is to get involved with local community, volunteers, go green, alternative transport methods, support the development of employees and to execute the decision taken by the company.

In many cases, companies have failed to utilise CSR funds as there is no proper way to inspect the same by Government controlling authorities. Companies have practiced to evade CSR funds by not showing profits or maybe, they will implement within their company premises or whatsoever. Due to this, there is no significant development in the area in which the company is located. They have to look after the environment, infrastructure, education and providing basic facilities in their local areas. But they were not doing this and they simply sponsor sports event or sponsor some other events and publish the same in their annual report. This has to be completely stopped. A new set of guidelines has to be implemented so that the people of the local area get employment opportunities and development of environment and also to provide basic facilities only. A proper checking mechanism has to be set up under the Chairmanship of hon. Members of Parliament representing Lok Sabha. Hon. MPs can review their CSR implementation along with MPLADs. This will help the local people and local Government to converge the additional funds available with the CSR. The CSR funds accountability can be assessed locally. The CSR funds must be utilized locally so that the local people get benefit out of everything. Like this many new modifications of rules are to be implemented and the companies should be accountable to District Administration or hon. Member of Parliament.

SHRI NITESH GANGA DEB (SAMBALPUR): Thank you Sir for giving me an opportunity. मैं सोच रहा था कि आज भी मुझे मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

Sir, Hirakud Dam at Sambalpur in the State of Odisha was built in 1957. The first multipurpose river valley project and the longest man-made dam in the world was on river Mahanadi. Though this project has been completed 63 years back, the rehabilitation and compensation to the families whose lands were submerged in this project have not yet been settled till date.

I would like to draw the attention of the Chair to instruct the Government to settle the compensation and rehabilitation process at the earliest and kindly tell the Government to make an extra allocation of additional funds for improvement of the dam.

(1905/RPS/MMN)

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं आपके द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र भन्डारा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां काफी पुराना शहर और जिला होने के बावजूद अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं है। खासकर, इस कोविड-19 की स्थिति में, वहां कोविड-19 पेशेंट्स का काफी बुरा हाल है। उनको छोटी-छोटी बातों के लिए नागपुर और दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। वहां पर 1000 बेड का गवर्नमेंट हॉस्पिटल आलरेडी तैयार है, काफी दिनों से वह तैयार है।

मैं आपके माध्यम से पुन: स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जल्द से जल्द भन्डारा में मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सुजय विखे पाटील और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री सुनील बाबूराव मेंढे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI PRATHAP SIMHA (MYSORE): Sir, thank you for allowing me to throw light on the plight of the Karnataka coffee growers.

My State, Karnataka, accounts for 70 per cent of coffee production in India. This contribution is achieved by 3,50,000 coffee growers, out of which 98.5 per cent of the coffee growers are small and medium scale growers. However, since 2016, the entire coffee-growing area from Coorg, Hassan to Chikmagalur is in doldrums because of droughts, floods and landslides.

We had severe drought in 2016 and 2017. For the last three years, we have been reeling under floods and landslides. My constituency, Coorg, alone has lost over 3,000 hectares of fertile coffee land. Now replantation is not

possible because the fertile surface land has been washed away. Whatever the little relief we get under the NDRF is not sufficient.

Therefore, I urge the Government, especially, the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, who also represents Karnataka in Rajya Sabha, and the hon. Commerce Minister, Piyush Goyal Ji, who was in-charge of Karnataka BJP, knows our problem, to give heed to our reasonable three demands. I do not expect the Government to waive off the loan. …(*Interruptions*) Sir, I will finish it in another 30 seconds.

I expect the Government to at least waive off the interest on crop and term loans, restructure the term and crop loans with reduced interest rate and with a two-year moratorium period, and also not to link the CIBIL score of coffee growers with their crop loans. Thank you.

ER. BISHWESWAR TUDU (MAYURBHANJ): Sir, this is a project involving inter-States, namely Subarnarekha Irrigation Project, between Jharkhand and Odisha. It is a matter of regret that, though 32 years have passed, this project work could not be completed. Also, some of the people, who have lost their lands, have not been rehabilitated properly.

My request to the hon. Minister, through you, is to look into this matter seriously so that the work can be completed and the public will be benefited. Thank you.

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि रायपुर लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला बलौदा बाजार और भाटापारा, जो कि औद्योगिक क्षेत्र है, वह पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र भी है। कृपया बलौदा बाजार या भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय प्रारम्भ किए जाने की कृपा करें। केन्द्रीय विद्यालय के लिए जो पांच किलोमीटर का दायरा होता है, यह सभी सांसदों के लिए आता है, कृपया उस दायरे को समाप्त करेंगे, क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय एक लोक सभा क्षेत्र में दो या तीन हैं। इसलिए पांच किलोमीटर के इस दायरे को समाप्त करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1910/IND/VR)

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): महोदय, इस सत्र के आखिरी दिन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पुणे और हुबली सैंट्रल रेलवे लाइन पर मेरा संसदीय क्षेत्र सतारा है। यहां एक गांव है, जहां पूरे देश का दूसरे नम्बर का प्याज का बाजार है, एमआरडीसी है और संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी भी आषाढ़ माह में निकलती है। यह शहर रेल लाइन के दोनों तरफ बसा हुआ है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कठिनाई होती है, इसलिए एक अंडरपास

और दो ओवर ब्रिज बनाएंगे, तो कालेज, मार्केट या किसी अन्य काम के लिए उनका आना-जाना सुगम होगा। यहां रेल के स्टापेज बढ़ाए जाएं। दक्षिण और उत्तर में जो रेल जाती हैं, उनके स्टापेज नहीं हैं। कई लोग केरल से आकर यहां बसे हैं, कई नार्थ से आकर यहां बसे हैं। उन्हें रेल पकड़ने के लिए पुणे या मिराज जाना पड़ता है। सतारा शहर के पास जो रेलवे स्टेशन है, वहां पुलिस स्टेशन मंजूर हुआ है, लेकिन उसकी बिल्डिंग पिछले दस सालों से बन रही है। पुणे या मिराज से जाने वालों को रेल में चोरी की रिपोर्ट कराने के लिए किसी दूसरे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। महिलाओं को भी तकलीफ होती है। अगर यह पुलिस स्टेशन जल्दी बनेगा, तो हमें सुविधा होगी।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): अध्यक्ष जी, मैं देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोरोना के संकट के समय भी हम जनसंख्या के प्रकोप को झेल रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जनसंख्या के कारण पैदा हो रही है और देश में अराजकता के विस्फोट के मूल में भी बढ़ती जनसंख्या एक मुख्य कारण है। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में धारा-370 खत्म करने का हमने काम किया है, जिस प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में 35-ए खत्म करने का काम किया है, जिस प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है, जिस प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने तीन तलाक का कानून बनाने का काम किया हो, जिस सरकार ने देश के किसानों के हित में बड़ा कानून बनाया हो, उस सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सदी का सबसे बड़ा कानून जनसंख्या पर नियंत्रण का कानून बनाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री जगदम्बिका पाल और डॉ. सुजय विखे पाटील को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का और एनडीए सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। मैं अपने क्षेत्र गुजरात, अमरेली का विषय कई सालों से शून्य काल में उठा चुका हूं। सदन में एचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल जी भी बैठे हैं। वे भी मेरे क्षेत्र गुजरात में आ चुके हैं। मैं अपने क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के लिए कई बार प्रश्न उठा चुका हूं, लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। मैं डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से सैंटर तक इस विषय को उठा चुका हूं। मुझे मेरे पत्र के माध्यम से जानकारी मिली है कि चैलेंज मैथड कमेटी की सहमति न मिलने से केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी नहीं मिली है। मेरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है और साढ़े आठ सौ से ज्यादा गांव हैं। मंत्री जी वर्ष 2017 में मेरे क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द मेरे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी मिले।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me the opportunity. I, on behalf of my party, would also

like to thank you for taking good care of each and every one of us and also for running of the House smoothly.

Sir, three people from Seethanagaram Village, Naupada, Santhabommali Mandal in my constituency went to Libya to work as welders in Al Shola Al Modea company during October 2019. On expiry of their work visa, they booked their return tickets to India on 13th September, 2020. They started from Benghazi to Tripoli airport in Libya by road. Later, they were found missing and have not come into contact with their family members. It has been 10 days till now. The family members have been worrying for their safety and whereabouts.

The names of these people are Boddu Danayya, Batchala Venkata Rao and Batchala Joga Rao. Keeping in view the agony of their families, I request the hon. Minister of External Affairs to kindly initiate the necessary efforts through our Indian Embassy in Libya to trace out the above missing persons and ensure their safe return to India. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1915/RAJ/SAN)

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बड़े गंभीर विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे देश में किसानों की समस्याओं का धीरे-धीरे समाधान हो रहा है, माननीय मोदी जी ने उनकी समस्याओं का समाधान किया है। लोक सभा का यह ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक क्षण चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता गांवों में रहती है और वे लोग जरूरी काम से शहर में आते हैं। वे चाहे अस्पताल में इलाज के लिए आएं, दीवानी, कलेक्ट्री, कचहरी या राजनैतिक लोगों से मिलने के लिए शहरों में आते हैं, तो उनको वहां ठहरने में बहुत दिक्कत आती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक किसान भवन का निर्माण कराया जाए, जिससे गांवों से आने वाली जनता को शहरों में रुकने की व्यवस्था हो, जहां वे सस्ते में खा सकें एवं रह सकें। ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से पूरे जिला मुख्यालयों में की जाए। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्रीमती रेखा अरुण वर्मा को श्री राजकुमार चाहर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गोपाल शेट्टी – उपस्थित नहीं।

श्री सतीश कुमार गौतम जी।

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मेरे लोक सभा क्षेत्र में है। वह केन्द्र के द्वारा संचालित होती है, वह केन्द्र के पैसे से चलती है। बीएचयू में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनको कोई आरक्षण नहीं मिलता है। केवल कांग्रेस की एक गलती की वजह से आज हमारे बच्चे, एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे वहां की शिक्षा से वंचित हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर केन्द्र सरकार की तरफ से कोई न कोई कमेटी गठित की जाए। आने वाले वर्ष 2021 में वहां केवल एक समुदाय के डॉक्टर्स रहेंगे, दूसरे समुदाय का कोई डॉक्टर भी नहीं रहेगा। वर्ष 2021 में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। वह केवल एक समुदाय की यूनिवर्सिटी रह गई है। वह केन्द्र के पैसे से चलती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वहां एससी, एसटी और ओबीसी के गरीब बच्चें को पर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री जगदम्बिका पाल को श्री सतीश कुमार गौतम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, I extend my heartfelt thanks to you for looking after us not only during this Session, but also for last six months, you have personally contacted many of us and have been taking care of us.

I will be drawing the attention of this House, through you, to the issue relating to the wage rate of unskilled labour under MGNREGS which has been increased from ₹ 196 to ₹ 207. I thank the Prime Minister and the Government for it, but the minimum wage rate in Odisha as per the State Government notification is ₹ 303.40, because of the intervention of our Chief Minister Shri Naveen Patnaik, from 1st April, 2020. The lower wage rate under MGNREGS is rendering work under MGNREGS less attractive.

What has happened in-between during last six months of COVID-19 is that MGNREGS has come as a boon. In many districts, within September, the mandays have already reached 75 to 80 days. As 100 days is the maximum one job-cardholder can work for in a year, there is a need to increase it to at least 200 days as there are six more months in this financial year. Also, there should be enhancement of the wage rate to be commensurate with the minimum unskilled wage rate notified by the State Government of Odisha.

Thank you.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष जी, भारत के 11 राज्यों, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चौरसिया समाज के 20 लाख लोग निरंतर पान के पत्ते की खेती के कार्य में लगे हुए हैं और हर वर्ष छ: लाख टन इसका उत्पादन करते हैं, जो 29 देशों में निर्यात किया जाता है। वर्तमान समय में पान की खेती बागवानी के अंतर्गत आती है और कृषि का दर्जा प्राप्त नहीं होने के कारण, इसे बीमा, सब्सिडी, सस्ती बिजली और बैंक से कम ब्याज पर ऋण, सरकारी मूल्य पर कीटनाशक दवाएं और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसी भी प्रकार के मुआवजे का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लंबे समय से देश को चौरसिया समाज, जो कई राज्यों में निवास करता है, इसकी मांग कर रहा है कि पान की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया जाए।

इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि इस दिशा में कदम उठाएं और पान की खेती को बागवानी के दायरे से निकाल कर कृषि का दर्जा देने का प्रयास करें।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मनोज राजोरिया को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1920/VB/RBN)

श्री धर्मेन्द्र कश्यप (आंवला): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद बरेली, शाहजहाँपुर और सीतापुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 बहुत ही जर्जर स्थिति में है। इस पर लम्बे समय से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

मेरा आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24, जो बरेली, शाहजहाँपुर और सीतापुर से होकर लखनऊ और दिल्ली को जोड़ती है, का जल्द-से-जल्द कार्य कराने का कष्ट करें।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Recently, Gurdwara Harmandir Sahib was granted the FCRA registration allowing it to receive foreign donations. This is a commendable step by the Central Government.

The Government should also grant FCRA permission to the Tirumala Tirupati Devasthanam. The Temple is deeply ingrained in Hindu culture. Lord Venkateswara has been worshipped for centuries. The temple receives anywhere between 60,000 and 1,00,000 devotees every day.

TTD's multiple Trusts perform social welfare activities, like providing daily free meals to 70,000 people. It also provides medical services like consultations, and even free surgeries through the BIRRD Trust and the Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences.

TTD's Trusts are running schools and colleges across the country where lakhs of students are getting high quality education. The Temple Trust also acts as a guardian of our rich

history by preserving and restoring ancient temples. These social activities are costing them around Rs. 3,300 crore.

Devotees of Lord Venkateswara who are living abroad are willing to offer their services to the Temple through donations. However, their hands are tied because there is no FCRA registration for the Temple.

Hence, I request the Government, through you, to take note of this request and grant FCRA registration to the TTD Trust. Thank you very much.

डॉ. महेश शर्मा (गौतम बुद्ध नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नोएडा-गौतमबुद्ध नगर आज पूरे विश्व पटल पर है। यहाँ जेवर एयरपोर्ट है और अब फिल्म सिटी भी है। दिल्ली के पास होने के कारण यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। नोएडा में केन्द्रीय विद्यालय आज से 20 वर्ष पहले एक था, वह आज भी एक ही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि वहाँ केन्द्रीय विद्यालय की संख्या में बढ़ोतरी की जरूरत है। इस मांग को शीघ्र-से-शीघ्र पूरा कराया जाए।

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): मैं आपके माध्यम से एक लोक हित की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

ग्वालियर में चम्बल नदी का पानी लाने की योजना काफी दिनों से चल रही है। लेकिन वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एनओसी न मिलने के कारण काम रुका हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इस काम में जल्दी की जाए।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 165 नल-जल की योजनाएं हैं, जो मेनटेनेंस के अभाव में बंद पड़ी हैं। उनको भी शीघ्रातिशीघ्र चालू करने का आदेश यहाँ से प्रदान करें। आप वहां की सरकार से कहें कि यह जल्दी किया जाए ताकि आने वाले समय में ग्वालियर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल की समस्याओं का समाधान समय रहते हो सके।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र में मोरवाड़ तहसील है। भारतीय रेल के जनक नाना शंकर सेठ का गांव मोरवाड़ है। लगभग 50 सालों से मोरवाड़ के लोग वहां रेल के आने का इंतजार कर रहे हैं।

मैं प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री श्री पीयूष जी को धन्यवाद दूंगा और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़णवीस जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मोरवाड़ के लिए रेल सैंक्शन कराई। अभी उसका अंतिम डीपीआर तैयार होकर नीति आयोग के पास जाने वाला है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से विनती करूँगा कि 50 सालों से इंतजार में बैठे हुए लोगों का इंतजार खत्म करने के लिए मोरवाड़ की रेल का काम जल्द-से-जल्द शुरू करने के लिए सहयोग दें और हमारा सपना पूरा करें। मैं रेल मंत्री जी से यह विनती करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1925/PC/SM)

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) (एटा): अध्यक्ष जी, आपने आज मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने आज ही समय मांगा है, पहले मांगा भी नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं तो सबको, रात तक बोलने के लिए समय देता हूं।

…(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) (एटा): अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

मेरी लगातार सात साल से एक ही डिमांड है। एटा और कासगंज – ये दोनों जिले आपस में लगते हैं। आज तक वहां रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हो पाया है। बार-बार वह रेलवे लाइन सर्वे में तो आ जाती है, लेकिन वहीं की वहीं रुक जाती है। जो रेलवे के अधिकारी हैं, वे केवल 28 किलोमीटर का नफ़ा-नुकसान दिखाते हैं। मैं उन अधिकारियों से और माननीय रेल मंत्री जी से कई बार मिल चुका हूं और उनसे कहा है कि वे कासगंज से लेकर काठगोदम तक और ऐटा से लेकर लखनऊ तक ट्रेन चलाने के लिए इस रेलवे लाइन का सर्वे कराइए।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री जी क्या कहते हैं, यह उनसे पूछ लेते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोलेंगे। आप उनसे आग्रह करो, वे समय दे देंगे।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी इस अवसर पर कुछ बोलना चाहेंगे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वे कहेंगे तो और लोगों को बोलने की इजाज़त दे देंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रहलाद जोशी जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे दो मिनट दिए हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैंने आपका समय तय नहीं किया है।

…(व्यवधान)

कोविड-19 के दौरान की गई विशेष व्यवस्था के लिए माननीय अध्यक्ष को बधाई।

श्री प्रहलाद जोशी: धन्यवाद, सर।

सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न भी हूं और आपको धन्यवाद भी करता हूं। इस विशिष्ट और विषम परिस्थिति में आपने और चेयरमैन, राज्य सभा – दोनों ने बातचीत कर के, सहमति से, जो एक विशिष्ट व्यवस्था की और तीन-चार जगहों पर मेंबर्स को बैठना पड़ा, यह पूरी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से, बहुत सोच-समझकर आपने की है। …(व्यवधान) मैं आपको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं।

हमारी संख्या बहुत बड़ी है। Our number is quite big and the hon. Chairman, Rajya Sabha has also guided और उन्होंने भी इस व्यवस्था में बहुत अच्छे ढंग से भाग लिया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। इस संदर्भ में, बहुत सुचारू रूप से, पॉलिटिकली टेंस सिचुएशन में आपने सभी पार्टियों को विश्वास में लेकर सदन को बहुत अच्छे ढंग से चलाया है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद समर्पित करता हूं। …(व्यवधान)

मैं अपना स्वयं का अनुभव भी बताता हूं। यहां जो पहली बार के मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं यह बताना चाहता हूं। जब मैं पहली बार एमपी बना था, तब पूरे सत्र में एक भी ज़ीरो ऑवर मिलता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। अगर हमको एक भी ज़ीरो ऑवर मिलता था तो it was be one of the biggest things, लेकिन आप ज़ीरो ऑवर के 'हीरो' बन गए, मैं ऐसा मानता हूं। …(व्यवधान)

आप सभी को बोलने के लिए मौका देते हैं, सभी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इसीलिए, मैं आपको सभी मेंबर्स की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। …(व्यवधान) इसी संदर्भ में मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो भी प्रोटोकॉल तैयार किए थे, जो प्रोटोकॉल आपने जारी किए थे, उस प्रोटोकॉल को लेटर-एंड-स्पिरिट से सबने अपनाया है और उसका पालन भी किया है। …(व्यवधान)

मैं सभी एमपीज़ को बहुत-बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूं। भगवान की दया भी है कि दस दिन, जब हम दोनों सदन चलाते हैं, तब तीन-चार हज़ार से ज्यादा लोग व्यवस्था और सब चीज़ों के लिए इस प्रिमाइसिस में रहते हैं। इतने सारे लोगों के रहते हुए भी आपकी विशेषता और चेयरमैन साहब की विशेष सतर्कता-प्रिकॉशन के कारण हमें ज्यादा समस्या नहीं हुई। …(व्यवधान) इसके लिए आपका प्रयत्न भी एक कारण है और भगवान का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर है, मैं ऐसा मानता हूं। …(व्यवधान)

इस विशिष्ट और विषम परिस्थिति में बहुत सुचारू रूप से, आपने जिस तरह यह सदन चलाया है, पूरे सदन की ओर से और अपोज़ीशन पार्टी के जो मेंबर्स यहां नहीं है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और उनकी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1930/SPS/AK)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1930 बजे

माननीय अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे माननीय सदस्य मामले का पाठ व्यक्तिगत रुप से सभा पटल पर रख सकते हैं।

Re : Nationalized banks subscribers facing problems in Covid-19 pandemic.

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा खास कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आम आदमी को बैंक के कामकाज करने के लिए भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, बैंक में स्टाफ कम होने से जो स्टाफ डयूटी निभा रहे हैं, उन्हें भी बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड जैसे परिस्थिति में बहुत कम लोग घर से बैंक के काम के लिए निकल रहे है। इस स्थिति में हाल ही में एसबीआई ने ज्यादातर बैंक अकाउंट को एक बार फिर से केवाईसी अपडेशन/जॉच के लिए ब्लॉक कर दिये, अकाउंट होल्डर जिनके एकाउंट ब्लाक किए हैं, परेशान हो कर कोविड जैसे परिस्थिति में बैंक में डाक्यूमेंट्स लेकर चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से एवं वित्त मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि देश में कोविड से पहले ही लोग परेशान थे/हैं। ऐसे माहौल में के.वाई.सी. अपडेशन के लिए अकाउंट ब्लाक करना उचित नहीं, जिससे बैंक आने वाले तथा बैंक कर्मचारी दोनों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा इस स्थिति में हो सकता है बहुत लोग बीमार हुए होंगे। इसलिए बैंक व्यवस्थापन को देश की इन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सोच समझ कर काम करना है, यह समझाने की आवश्कता है और इसकी जांच होनी चाहिए यह निवेदन सरकार से करती हूँ।

(इति)

RE: Need to include the sacred Shrimad Bhagvad Gita in school and college curriculum and also include in the Oaths Act, 1969.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): हिन्दू शास्त्रों में श्रीमदभागवद गीता का सर्वप्रथम स्थान है तथा यह भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। लोकप्रियता में इससे बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है तथा विश्व में इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गीता में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से धार्मिक सहिष्णुता की भावना को प्रस्तुत किया गया है, जो भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। वस्तुत: इस ग्रंथ में सम्पूर्ण वेदों का सार निहित है। गीता की महत्ता को शब्दों में वर्णन करना असंभव है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है।

मनुष्य को अपने जीवन को सफल बनाने, हरेक तनाव से दूर रहने हेतु श्रीमदभागवद गीता को हृदय में धारण करना आवश्यक है। यह जीवन को सफल बनाने का एक कल्याणकारी मार्ग है। भारत हि नहीं विदेशों में भी गीता का बहुत प्रचार है। संसार की शायद ही ऐसी कोई सभ्य भाषा हो, जिसमें गीता का अनुवाद न हुआ हो।

उत्कृष्ट भावना का परिचायक होने के कारण गीता का सभी ग्रन्थों में सर्वोपरि स्थान है तथा इस पवित्र ग्रंथ के उपदेशों को सभी ने स्वीकार किया है। इसलिए यह किसी संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं है। पाश्चात्य विद्वान हंबाल्ट ने गीता से प्रभावित होकर कहा है कि "किसी ज्ञात भाषा में उपलब्ध ग्रन्थों में संभवत: सबसे अधिक सुंदर और दार्शनिक गीता विश्व की परम निधि है।"

अत: चूंकि, श्रीमदभागवद गीता में सभी धर्मों के ग्रन्थों का समावेश है और इसमें ईश्वर की वाणी निहित है, तथा यह ईश्वर का एक स्वरूप है। इशलिए, मेरा अनुरोध है कि विश्व प्रसिद्ध इस पवित्र ग्रंथ को देश के सभी विधालयों, कालिजों और तकनीकी/चिकित्सा संस्थानों के पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने के साथ-साथ शपथ अधिनियम-1969 की "धारा-6 शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप में "ईश्वर की शपथ लेता हूँ" के स्थान पर "श्रीमदभागवद गीता की शपथ लेता हूँ" अंत: स्थापित किए जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाए।

(इति)

RE: Alleged irregularities committed by CMO, Badaun in Uttar Pradesh.

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): अध्यक्ष महोदय जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं हमारे लोकसभा बदायूं के सीएमओ द्वारा हो रही अनियमितता लगातार प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उजागर होती रही है। चाहे वहां सैनिटाइजर मशीन को 3 महीने तक ताले में बंद करने की बात हो, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करई गई सिटीजन किट का प्रयोग ना करना रहा हो या जिले में जिस समय प्रवासी मजदूर लाये जा रहे थे, उस वक्त छह-सात दिनों तक कोरोना की जांच ना होने का मुद्दा रहा हो, इतना ही नहीं महोदय हमारे सीएमओ बदायूं कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए जाते हैं और होम क्वारेंटाइन होते हैं उसी दौरान बदायूं से मेरठ आते हैं वहां जांच में पॉजिटिव पाए जाते हैं। एक डॉक्टर होकर इतना गैर जिम्मेदाराना कार्य करने को जांच हेतु अनुरोध करती हूं।

(इति)

RE: Need to stop levy of toll tax on Etawah-Chakeri Toll Plaza in Kanpur district, Uttar Pradesh.

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' (अकबरपुर): आपके माध्यम से मैं सदन और सरकार का ध्यान जनपद कानपुर देहात में स्थित बारा टोल प्लाजा द्वारा की जा रही नियम विरूद्ध टोल वसूली के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

महोदय, लोक सभा क्षेत्र अकबरपुर के जनपद कानपुर देहात के बारा में इटावा चकेरी टोल प्लाजा स्थित है वर्ष 2013 से स्थापित उक्त टोल प्लाजा जो कि गलत स्थान के चयन के बावजूद संचालित है तथा ठेकेदार के द्वारा अनुबंध के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों को आज तक पूर्ण नहीं कराया गया है। जनपद कानपुर देहात में आहूत होने वाली निगरानी समिति का अध्यक्ष होने के नाते मुझे बैठकों पर अपूर्ण कार्यों के संबंध में कई बार शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इसके पूर्व में भी वर्ष 2013 से लेकर अब तक मेरे एवं पार्टीजनों के साथ मिलकर उक्त टोल प्लाजा के संबंध में कई बार शासन एवं सरकार को अवगत कराया जा चुका है। कार्यवाही न होने के कारण आम जन मानस में रोष व्याप्त रहता है जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की दिनांक 22.02.2020 की बैठक में उक्त मामले को जन प्रतिनिधियों एवं पार्टीजनों के द्वारा उठाया गया था। टोल टैक्स राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम 2008 के तहत निर्धारित है किन्तु टोल टैक्स तभी पूर्ण रूप से लिया जाना उचित होता है। उक्त संबंध में अवगत हो कि इटावा-चकेरी हाईवे परियोजना पर अभी तक अनेकानेक कार्य अधूरे पड़े हैं जिसमें की लगभग 75 माइनर जंक्शन, 10 मेजर जंक्शन, 350 साइन बोर्ड, पेवमेंट मार्किंग, मेटल बीम क्रेस बैरियर, वायर रूप क्रेस बेरियर 4 किमी गार्ड रेल, हाई मास्क लाइटिंग, 30 बस बेस, 3 ट्रक ले बे, 8000 हाईवे लाइटिंग, 50 जेनसेट हाईवे लाइटिंग हेतु, आर.ओ.डब्लू. फेंसिंग आदि कार्य अभी तक शेष है इसके अलावा ठेकेदार के द्वारा रख रखाव के कार्य भी समय-समय पर एवं गुणवत्ता पूर्ण नहीं कराये जाते है जिसके कारण यात्रियों को समस्या एवं दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी आमजन से टोल टैक्स पूरा वसूल किया जाता है जो कि विधि के विरूद्ध एवं न्याय संगत नहीं है। ऐसी स्थिति में कार्य पूर्ण न होने तक टोल टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए था। वर्ष 2016 में अनाधिकृत तरीके से दिए गए कार्य समापन प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने के संबंध में भी राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही/संस्तुति क्यों नहीं की गयी, जब वर्तमान में भी कार्य अधूरे हैं। परियोजना में बहुत से कार्य कराया जाना अभी भी शेष है जिस पर आज कोई संज्ञान नहीं लिया गया और न ही ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी और न ही टोल दरों में कमी की गयी कार्यों के पूर्ण न होने पर यात्रियों को हो रही असुविधाओं को दरकिनार करते हुए पूरा टोल वसूल किया जा रहा है। ओवरलोड वाहनों के संबंध में भी मनमाने तरीके से टोल वसूली की जाती है। तथा परियोजना में ठेकेदार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाने वाली सालाना प्रीमियम पर भी छूट ली जाती है।

अतः आपसे निवेदन है कि केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार को टोल प्लाजा पर की जा रही कथित अवैध वसूली को रोकने एवं वर्ष 2016 के लिए टोल की वसूली कराये जाने हेतु निविदा अनुबंद अनुसार कार्यों को पूर्ण कराए जाने हेतु संबंधित आवश्यक आदेश/निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

(इति)

RE: Need to establish an 'Aushadhiya Kendra' in Sasaram parliamentary constituency, Bihar.

श्री छेदी पासवान (सासाराम): 483 किलोमीटर में फैला कैमूर पहाडी क्षेत्र, जो विन्ध्य पर्वत माला का पूर्ववर्ती भाग है जिसका विस्तार जबलपुर के कातंगीसे रोहतास (सासाराम) बिहार तक है। इस पहाडी श्रृखंला में अनेकानेक औषधीय पौधों की मौजूदगी है। यदि इन औषधीय पौधों और इसके उत्पादों की उपयोगिता का सर्वे कराकर आवश्यक संग्रहण, विपणन एवं जन आरोग्य में इसका उपयोग किया जाए तो यह औषधीय संपदा राष्ट्र के स्वास्थ्य एवं राजस्व के संवर्द्धन में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर औषधीय संपदा का उपयोग आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः सदन के माध्यम से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम बिहार में स्थापित कैमूर पहाडी क्षेत्र के रोहतास प्रखण्ड मुख्यालय में एक वृहत औषधीय केन्द्र स्थापित कराने की कृपा की जाए।

(इति)

Re : Need to float fresh tender for construction of Tarsod-Fagne section of NH-6 into four lane in Maharashtra.

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): NHAI द्वारा मई 2016 में NHDP-IV के अंतर्गत Four laning of Tarsod-Fagne section of NH-6 from km 422.700 to km 510.000 जिसका निर्माण Hybrid Annuity Mode में होना था उसके लिए टेंडर निकाला गया। नवंबर 2016 में इस परियोजना का टेंडर MBL Infrastructure की अगुवाई वाले consortium को दिया गया। इस राजमार्ग के निर्माण का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और 2020 तक सिर्फ 14 प्रतिशत कार्य हुआ है और निर्माणाधीन होने के कारण अनुमानित 140 लोगों की इस राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो गयी है और स्थानीय लोगों में बहुत असंतोष है। NHAI के परियोजना निदेशक ने concessionaire पर 16 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस परियोजना के लिए दिए गए tender को खारिज किया जाए और पुनः EPC model के माध्यम से इसके निर्माण के लिए Tender तत्काल float किया जाए, जिससे इस परियोजना को समय सीमा के अंतर्गत पूरा किया जाए और यात्रियों को हो रही असुविधा का निवारण किया जा सके.

(इति)

RE: Need to provide jobs to local land oustees families in ONGC in Mahesana parliamentary constituency, Gujarat.

श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): मेरे संसदीय क्षेत्र महेसाणा में ONGC एसेट कार्यरत है। महेसाणा एसेंट तटवर्तीय तेल उत्पादन क्षेत्र में पूरे भारत में पहले नंबर पर है। महेसाणा क्षेत्र से भारत सरकार को हर साल अच्छी आमदनी होती है और मेरा क्षेत्र भारत सरकार को देश के विकास में मदद होती है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। यहाँ के किसान अपनी जमीन सरकार को समर्पित करके देश हित के काम में जुड़े है। लेकिन महेसाणा के किसान और कंपनी के बीच कई बार विविध मुद्दे को ले कर टकराव हो जाता है। जिसमें से कई मुद्दे वाजिब भी हैं। महेसाणा के लोग ज़्यादातर छोटे किसान हैं और वह खेतीबाड़ी और पशुपालन की आमदनी से अपना और अपने परिवार का पालन करते हैं। अब जब किसान अपनी जमीन ONGC को दे देगा तो परिवार के लिए उसको भी ONGC की तरफ से किराए के अलावा कुछ मिलना चाहिए, जिससे किसान और ONGC का टकराव भी खत्म होगा।

ONGC में contract में दिए गए कामों में लैंड लुजर्स किसानों के परिवार वालों को रोजगार मिलना चाहिए। चौकीदार जो भी contract आधारित नॉन टेक्निकल नौकरियाँ है, वह किसानों और लोकल लोगों को ही दी जानी चाहिए। जिससे लेंड लुजर्स किसानों के परिवार वालों का गुजारा हो सकेगा। ONGC को आईटीआई के साथ मिलके ONGC में काम आने वाले छोटे मोटे स्पेशियल कोर्सिज चलाने चाहिए ताकि ONGC में अच्छे टेकनिकल नॉलेज वाले कर्मचारी मिलें। ONGC में आईटीआई और इंजीनियरिंग से पास हुए लोगों को विभिन्न विभाग में एप्रेंटीस करने के लिए नौकरियाँ मिलती हैं। मेरी आपसे विनती है कि इस एप्रेंटीस में लेंड लूजर्स किसानों के परिवार वालों के लिए आरक्षण होना चाहिए और उस आरक्षण में मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए।

मेरी माननीय पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्री से निवेदन है की इस विषय पर कार्यवाई हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश जारी करें।

(इति)

RE: Regarding deteriorating law and order situation in Jharkhand.

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): 15 सितम्बर 2020 को हजारीबाग में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। 23 अगस्त को एक 21 वर्ष के युवक की हत्या हुई। राज्य में अपराध पनप रहा है। पिछली सरकार के कार्यकाल के मुकाबले इस सरकार में जुलाई में आपराधिक वारदातें 10 प्रतिशत बढी हैं।

रेप हत्या या कोयला बालू चोरी, विधि-व्यवस्था चरमरा गयी है। जिस नक्सलवाद को पिछली सरकार ने साफ किया था, आज वह मजबूत हो रहा है। मात्र 7 महीनों में 174 नक्सल घटनाएं हुई है।

राज्य मे अपराधियों को कोई डर नहीं रहा है लेकिन जनता डरी हुई है।

सदन का ध्यान झारखण्ड सरकार के कानून-व्यवस्था को कायम रख पाने में असफल होने की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूँ।

गृह मंत्रालय से आग्रह है कि वे झारखण्ड सरकार से रिपोर्ट मांगे कि राज्य में कानून पुनः स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं|

(इति)

RE: Need to upgrade Fragrance & Flavour Development Centre, Kannauj, Uttar Pradesh to Aroma University.

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज): मेरे संसदीय क्षेत्र कन्नौज का इत्र एंव सुगंध व्यवसाय से लगभग 500 वर्ष का पुराना इतिहास है। भारत में सर्वाधिक इत्र व्यवसाय के रूप में पूरी दुनिया में कन्नौज ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लगभग 300 से अधिक छोटी से बड़ी इकाईयां आज इस उधोग में कार्यरत होकर उत्पादन के साथ-साथ रोजगार देने के लिए बहुत बड़ी साधन बनी हुयी है। कन्नौज में स्थापित सुगंध एंव सुरस विकास केंद्र 28 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में अवस्थित होने के साथ ही भारत सहित मिश्र, युगांडा, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि दुनिया के कई देशों के प्रशिक्षार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान कर इस व्यवसाय में दक्षता प्रदान करने का भी काम कर चुका है। जनपद कन्नौज में स्थित विशाल परिसर में अवस्थित इस प्रशिक्षण संस्थान को आवश्यकता अनुसार और भी भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। इसलिए यदि संस्थान को अरोमा विश्वविद्यालया के रूप में स्थापित कर दिया जाए तो दुनिया में भारत की यह एक अनोखी पहल होगी, जिसमें पुन: नालंदा और तक्षशिला की भांति भारत में भी लोग अरोमा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आया करेंगे। साथ ही विषय विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त करने और शोध कार्य होने से बेहतर परिणाम प्राप्त कर दुनिया में इसके निर्यातक देश के रूप में भी अपना स्थान बना सकेंगे।

अत: मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह है कि सुगंध एंव सुरस विकास केंद्र (Fragrance and Flavour Development Center) को ओरमा विश्वविद्यालया के रूप में विकसित किया जाए।

(इति)

RE: Regarding interlinking of rivers in northern and southern areas of Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): महोदय मेरा संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद दक्षिणी बिहार के मगध प्रमंडल का एक सूखाग्रस्त जिला है तथा यहाँ पेयजल की भी समस्या बेहद गंभीर है। हालत यह है कि यहाँ जमीनी जल का स्तर इतना नीचे पहुंच चुका है कि फरवरी मार्च से ही चापाकल सूखने लगते हैं और गर्मियों में पेयजल की बड़ी ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है | वहीं बरसात के महीनों में उत्तरी बिहार में हाहाकार की स्थिति हो जाती है।

अध्यक्ष जी, आज देश में लगभग सभी प्रदेशों में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है ऐसे में मेरा सरकार से आग्रह है कि वर्षाकाल में उत्तर बिहार की बडी नदियों गंगा, कोशी आदि के अतिरिक्त जल प्रवाह के पाइप परियोजनाओं के माध्यम से दक्षिण बिहार की नदियों फल्गु, मोरहर, केशहर, पुनपुन, मदाड, अदरी, बटाने, टेकारी नदी आदि में स्थानान्तरित कर इन नदियों को जलाश्य के रूप में उपयोग किया जाए, इससे जहां बाढ की समस्या से कुछ राहत की उम्मीद होगी, वहीं इस सूखाग्रस्त इलाके में जलस्तर उठने से पेयजल की समस्या का समाधान भी हो सकेगा।

(इति)

Re: Amending CSR rules

SHRI A. NARAYANA SWAMY (CHITRADURGA): The current attitude towards the use of CSR funds needs to be changed. Current practices are against the spirit of CSR. A new set of guidelines need to be implemented so as to ensure that the local community get basic facilities and better environment through CSR projects. A proper monitoring needs to be set up under the chairmanship of Hon'ble Member of Parliament representing Lok sabha in the area from where a company operates. Hon'ble MP can review the CSR implementation and he/she can even expand the coverage of MPLADS with co-funding from CSR. This will help the local people and local administration to converge the additional funds available under CSR for local development. Hence, the Centre should amend the CSR rules to facilitate local development.

(ends)

RE: Need to provide adequate lighting facility on over bridges on NH 27 (Jhansi-Kanpur) in Uttar Pradesh.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): राष्ट्रीय राजमार्ग - 27 झॉसी से कानपुर के मध्य जितने भी ओवर ब्रिज बनाये गये हैं उन पर डबल लाइट की जगह सिंगल लाइट लगायी गयी है जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सर्विस मार्ग पर उचित रोशनी नहीं होती है, अभी तक कई ओवरब्रिज पर सर्विस रोड ही नहीं बनाये गए हैं, जिससे सही दिशा में आने वाले वाहन गलत दिशा में जाकर रोड पार करते हैं जैसे भुजौंद, पिरौना भोगनीपुर का पुल इत्यादि, इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग में जितने भी संपर्क मार्ग जुड़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की ऊँचाई ज्यादा होने के कारण वाहन तेजी से सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ जाते हैं, नियमानुसार उनके लिए भी 100 मीटर समतल मार्ग बनाये जाने की आवश्यकता है, उपरोक्त कार्य न होने के कारण लगातार दुर्घटनाएँ हो रही हैं,

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उपरोक्त कार्यों की जांच करवाकर दोषियों को दण्डित करते हुए शीघ्र ही कार्य पूर्ण कराया जाए।

(इति)

RE: Alleged irregularities in Pradhan Mantri Awas Yojana and other rural development schemes in Pratapgarh district, Uttar Pradesh.

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक सभी को आवास और अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त करने का लक्ष्य बनाया है जिसके तहत सीधे लाभार्थियों के खातों में भारत सरकार से पैसा भेजने की व्यवस्था सुनिशिचत की गई है लेकिन खेद का विषय है कि कतिपय अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण वे योजनाएं निचले स्तर पर कहीं- कहीं फलीभूत होने से रह जा रही हैं।

मेरे द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में व्यक्तिगत रूप से जनपद प्रतापगढ़ की कुछ ग्राम पंचायतों में हुए प्रधानमंत्री आवास सहित ग्रामीण विकास विभाग के कथित अनियमितताओं के संबंध में पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए जांच कराकर प्रधानमंत्री आवास सहित अनेक योजनाओं में लाभार्थियों से कथित रूप से धन उगाही किए जाने तथा उन्हें पात्रता के बावजूद भी योजनाओं से वंचित किए जाने और उसके साथ-साथ पत्र लाभार्थी के नामों से मिलते-जुलते लोगों को धन उगाही कर उनके आवास का पैसा दूसरे के खाते में आबंटित किए जाने के विशिष्ट प्रकरण मंत्रालय में दिए गए। किन्तु खेद का विषय है कि 1 वर्ष की लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद मेरे द्वारा उसमें रिमाइंडर भी इस संबंध में प्रस्तुत किए गए किन्तु मंत्रालय से किसी प्रकार का कोई आवश्यक कदम न उठाए जाने के कारण भ्रष्टाचारियों का मनोबल ऊपर उठ रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वह मेरे द्वारा लाभार्थी परक योजनाओं में भारत सरकार से दी जाने वाली धनराशि में किए गए अनियमितताओं के संबंध में मेरे प्रेषित पत्रों के 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न करने वाले लापरवाह जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए उसकी वास्तविक जांच कराकर जनता को न्याय दिलाने जाने का कार्य करे।

(इति)

RE: Need to set up sewage treatment plant in drains in North East Delhi parliamentary constituency.

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): मैं अपने संसदीय क्षेत्र की एक बड़ी आबादी क्षेत्र में पानी निकासी न होने जैसी बड़ी समस्या की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसके कारण करावल नगर, मुस्तफाबाद, गोकलपुर, घोंडा, बुराडी विधान सभा की दर्जनों कालोनियों में गंदे पानी का जल जमाव हो जाता है और भूजल भी जहरीला हो रहा है। गंदे पानी के जल जमाव से हरियाली नष्ट हो रही है और कई जल-जनित बीमारियाँ पनप रही है। मेरे द्वारा गोद लिए अकेले आदर्श गाँव सभापुर में इसी कारण से कैंसर से पीडित होकर लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत हो गयी जबकि कई अन्य लोगों का इलाज चल रहा है।

मै सदन के माध्यम से शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि लाखों लोगों के जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अमृत योजना के तहत इन क्षेत्रो में स्थित सभी बड़े नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जाएं जिससे नालों के पानी को शोधित कर विभिन्न कार्यो में उपयोग किया जा सके और भूजल को जहरीला होने से बचाने के साथ ही गंदगी और जहरीले पानी से होने वाली कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बड़ी आबादी को बचाया जा सके और पर्यावरण की रक्षा भी हो सके।

(इति)

RE: Need to ensure adequate medical facilities for treatment of non-Covid patients in hospitals.

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): कोरोना से संघर्ष के प्रारंभिक चरण में सही समय पर लॉकडाउन की घोषणा कर प्रधान मंत्री जी ने इस संघर्ष को जन आंदोलन बनाकर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। जिससे आज भारत में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने का प्रतिशत विश्व में सबसे अच्छा है।

आज जब हम अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या में वृद्धि चुनौती बनकर उभर रही है। संक्रमितों के लिए पर्याप्त बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटीलेटर्स आदि के लिए केन्द्र व प्रदेश की सरकारें कृत संकल्पित हैं। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पतालों में अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें नहीं मिल पा रही है। निजी अस्पताल अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। अन्य बीमारियों का भी इलाज ठीक प्रकार से हो सके यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। सरकार द्वारा सभी प्रदेश सरकारों को इस हेतु विशेष सलाह (एडवाइजरी) जारी करने पर विचार किया जाना चाहिये।

(इति)

Re: Inclusion of Gorboli in 8th Schedule to the Constitution

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Gor Banjara language (Gorboli) is predominantly spoken by the Banjara/Lammani/Lambhadi and other communities in the State of Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and few other states. As 'Gorboli' does not have script, its history stays alive through oral traditions. The ancient culture and heritage of this community and language has not been recognized under the Constitution since Independence. Vast amount of literature and books have been written in Gorboli by Sahitya Academy and there is a need to record its history and protect the language and oral traditions. We need to see Banjara language within the matrix of the cultural, social, economic and political life of the community and not in isolation. I request the Government to develop the Gorboli (Banjara) language by including the same in the 8th Schedule to the Constitution at par with the other languages.

(ends)

RE: Need to construct flyover on NH-27(28) and a bridge over Gandak river in Gopalganj parliamentary constituency, Bihar.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मैं आपके माध्यम से ममानीय सड़क परिवहन एंव राज मार्ग मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर NH - 27 (28) की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें एक फ्लाई ओवर का निर्माण कई सालों से बंद पड़ा है। यह फ्लाई ओवर गोपालगंज के बंजारी मोड से लेकर हजियापुर तक है। फ्लाई ओवर का निर्माण नहीं होने से गोपालगंज शहर में घंटों गाड़ियों की लंबी जाम लगी रहती है।

ट्रक जो कि अलग-अलग राज्यों के लिए essential commodities लेकर इस मार्ग से बंगाल तथा उत्तरपूर्व के राज्यों में जाते हैं, घंटों तक जाम में फंसे रहते है। जिसके कारण शहर में Air Pollution की भी समस्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ NH - 28 के गंडक नदी पर डुमरियाघाट पुल का निर्माण भी बरसों से अधूरा पड़ा है। निर्माण या रिपेयर का कार्य शुरू नहीं होने की स्थिति में कभी भी भयंकर दुर्घटना घट सकती है। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में NH के जहां जहां फ्लाई ओवर बना हुआ है उसमें एवं उसके सर्विस लेन में एक से दो फीट तक गड्डे बन गए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उपरोक्त कार्यों के लिए कई महीने पहले ही पैसा स्वीकृत किया जा चुका है लेकिन आजतक NHAI द्वारा कार्य को शुरू नहीं किया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि बरसों से बंद पड़े फलाई ओवर एंव डुमरियपुल का तथा अन्य मरम्मत कार्य को शुरू करने के लिए निर्देश देने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद अध्यक्ष महोदय,

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक

1930 बजे

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 23, महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 - माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Sir, I rise to move :

> "That the Bill to provide for regulation, operation and planning of Major Ports in India and to vest the administration, control and management of such ports upon the Boards of Major Port Authorities and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

सर, मैं यह बिल इसलिए लेकर आया हूं कि देश में हमारी मेरीटाइम हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मेरीटाइम सेक्टर से ही दुनिया के साथ हम कनेक्ट रहते थे और विश्व में सबसे पुराना मेरीटाइम सेक्टर, सबसे पुराना एग्जाम्पल और सबूत है, तो वह गुजरात में लोथल है। लोथल में पांच हजार साल पुराना एक डॉक मिला है। पांच हजार साल पहले कितना सिस्टमैटिक और साइंटिफिक नेविगेशन सिस्टम होता था, उसका बेस्ट एग्जाम्पल लोथल में दिखाई देता है। उसके बाद समय-समय पर मगध साम्राज्य, पांडियन, चालुक्य आदि वेस्टर्न ईस्ट कोस्ट पर शासन करने वाले सभी सम्राटों के इतिहासों को देखें तो उनके समय में भी मेरीटाइम सेक्टर था, वे मेरीटाइम के विषय में ज्ञान रखते थे और स्पेसिफिक आइलैण्ड कंट्री तक उनकी पहुंच रहती थी।

उसके बाद जब देश में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने एक स्थिति निर्मित की। इंडिया में बेस्ट शिप बिल्डिंग होती थी। इंडिया में सभी पोर्ट्स से दुनिया के साथ कारोबार होता था। उसके भी कई एग्जाम्पल्स हैं। आप गुजरात में अहमदाबाद जाइए, वहां मस्कती मार्केट है। गल्फ ऑफ कैम्बे के मार्फत वह अफ्रीकन कंट्रीज और सभी के साथ सी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए थे। आज ईस्ट अफ्रीका की किसी भी कंट्री में जाकर देखिए, वहां आपको कोई न कोई इंडियन, जिसका ओरिजिन इंडियन है, ऐसे लोग सी रूट के माध्यम से वहां पहुंचे थे।

1933 बजे (श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने देश में शिप बिल्डिंग पर प्रतिबंध लगा दिया, देश में सीफेरर पर प्रतिबंध लगा दिया, देश में उनके वेसल्स पर कैप्टन अंग्रेज ही हो, ऐसा सुनिश्चित कर दिया। उसके बाद से हमारा मेरीटाइम पीछे हुआ और आजादी के बाद यह सेक्टर बहुत उपेक्षित रहा। इसके उपेक्षित रहने से आज के दिन देश में 204 पोर्ट्स हैं। उन 204 पोर्ट्स में 12 मेजर पोर्ट्स हैं। इनमें नॉन मेजर पोर्ट्स हैं और प्राइवेट पोर्ट्स भी हैं। पोर्ट सेक्टर में भी एक टाइम का कॉम्पटीशन आज के दिन दिखाई दे रहा है। बदलते समय के साथ पोर्ट सेक्टर को बदलना आवश्यक होता है। पोर्ट सेक्टर में जो रूल्स

और रेगुलेशन या बिल, जिससे वे रेगुलेट होते हैं, ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। ऐसी स्थिति थी कि 150-200 साल पुरानी कई व्यवस्थाओं से हमारा मेरीटाइम सेक्टर कंट्रोल होता था। समय के साथ बदलने के लिए, हमारे पोर्ट सेक्टर को वर्ल्ड के पोर्ट्स सेक्टर्स से कॉम्पटीशन करने के लिए और वर्ल्ड के पोर्ट्स से कॉम्पटीशन हमारे पोर्ट्स भी कर सकें, प्राइवेट पोर्ट्स और मेजर पोर्ट्स आपस में कॉम्पटीशन कर सकें, बेस्ट प्रैक्टिस कर सकें, उस उद्देश्य से पोर्ट सेक्टर में मेजर पोर्ट को स्वायत्तता देने के लिए, मेजर पोर्ट्स की एक्टिविटीज को स्मूथ करने के लिए, उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए मैं मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, 2020 लेकर आया हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन इसके ऊपर विचार करे।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारत में महापत्तनों के विनियमन, प्रचालन और योजना के लिए तथा महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों में ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को निहित करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।।"

(1935/MM/SPR)

1935 बजे

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): सभापति महोदय, महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 का समर्थन करने के लिए आज मैं सदन में बोल रही हूं।

आदरणीय सभापति जी, हमारा देश द्वीपकल्प है, यानी हमारे देश के तीन तरफ समुद्र है और एक तरफ हिमालय पर्वत है। समुद्री तटों का सही तरीके से उपयोग हमारे पूर्वजों ने भी किया था। हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि पूर्व में भी, यानी हमारा इतिहास साक्षी है कि हमारे देश का कारोबार विदेशों के साथ उस टाइम पर भी समुद्र से होता था और उसी समय हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जैसा कि बताया गया है कि हमारे देश पर विदेशी आक्रमण होते रहे, हम गुलामी की स्थिति में आ गए। इससे हमारे पोर्ट्स और समुद्री व्यापार पर बहुत ही गम्भीर असर पड़ा। धीरे-धीरे हमारे पोर्ट्स ध्वस्त होते गए। इस तरह से हमारा देश गुलामी की अवस्था में आ गया। फिर हमारा देश आजाद हुआ। हमारे पोर्ट्स और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर गति करने लगा। हमारा डेवलपमेंट होने लगा। हमारे माननीय श्री नरेन्द्र मोदी साहब ने जब से देश की बागडोर सम्भाली तब से मुझे लगता है कि आफ़त को भी कैसे अवसर में बदलने की हम में ताकत है, वह सबको उन्होंने दिखाया है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूं कि हमारे गुजरात के कच्छ में दरिया के किनारे सॉल्ट की बंजर जमीन थी, उसका व्हाइट डेज़र्ट नाम रखने के बारे में किसी ने भी सोचा नहीं होगा। आज वहां देश और दुनिया से टूरिस्ट आ रहे हैं। इससे हमारे कच्छ पर ही नहीं, हमारे गुजरात के डेवलपमेंट और इकॉनमी पर बहुत फर्क पड़ा है।

सर, मैं भावनगर, गुजरात से आती हूं। हमारा भावनगर कोस्टल एरिया है। इतिहास साक्षी है कि हमारा घोघा बंदर से बहुत बड़ा कारोबार होता था। गुजराती में एक कहावत भी है- "लंका नी लाडी आने घोघा नो वर।" यानी कि हमारे समुद्री संबंध इतने अच्छे थे और वे कैसे चल रहे थे, वह हम इस कहावत से समझ सकते हैं। इसी घोघा बंदर से दहेज तक रो-रो फेरी और पेक्स सर्विस चालू हो गयी है। यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का विजन था। इससे हमारे भावनगर का ही नहीं बल्कि पूरे सौराष्ट्र का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड, अलंग में है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। पूरे विश्व में से जहाज वहां ब्रेक करने के लिए आते हैं और पिछले सैशन में ही माननीय मंत्री जी हांगकांग कनवेंशन का एक बिल लेकर आए थे। हांगकांग कनवेंशन का बिल पास होने के बाद जो थोड़े बहुत जहाज हमारे यहां नहीं आ रहे थे, वे भी अब आने लगेंगे। आने वाले पांच सालों में अलंग का शिप ब्रेकिंग का व्यापार डबल हो जाएगा। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड हमारे भावनगर की लाइफलाइन है। हमारे भावनगर में भी दो पोर्ट्स हैं, एक ओल्ड पोर्ट और एक न्यू पोर्ट भी है। हमारे महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने वहां लोक गेट बनाया था। भावनगर के डेवलपमेंट के लिए पोर्ट में भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। माननीय मंत्री जी भावनगर के ही हैं। सदन के सामने एक बात मैं खुले दिल से रखना चाहती हूं कि हमारे भावनगर के लोगों ने एक डिमांड रखी थी कि हमारे भावनगर के पोर्ट के लिए कुछ किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। वहां कार्गो तो

हेंडल होता है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन हमारी कल्पना में भी नहीं था कि हमारे मंत्री जी, हमारी केन्द्र सरकार और हमारी गुजरात सरकार ने मिलकर देश का सबसे पहला सीएनजी पोर्ट दो हजार करोड़ रुपये में भावनगर में स्थापित करने के बारे में सोच लिया है और कुछ समय में ही वह शुरू होने वाला है। इससे हजारों की संख्या में हमारे भावनगर के लिए रोजगार बढ़ेगा और बहुत ज्यादा व्यापार भी यहां से होने वाला है।

सर, जब मुझे बोलने का मौका मिला है तो मैं सरकार के सामने कुछ डिमांड भी रखना चाहती हूं कि हमारे भावनगर के पोर्ट में ड्रेजिंग की समस्या रहती है।

(1940/SJN/UB)

हमारे भावनगर का जो न्यू पोर्ट है, उनमें ड्रेजिंग की बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो बार-बार उनकी ड्रेजिंग की जाए, जिससे हमारा वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वह अच्छे तरीके से हो सके। हमारे महाराजा ने जिस लॉक गेट का निर्माण किया था, अब उसका भी नवीनीकरण करने की बहुत जरूरत है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो घोघा-दहेज रो-रो फेरी सर्विस है, वह चालू तो है, लेकिन टेक्निकल प्राब्लम्स की वजह से वह कहीं-कहीं बंद भी हो जाती है।

मेरी दूसरी डिमांड यह है कि घोघा से सूरत के...(व्यवधान) लिए रो-रो फेरी सर्विस शुरू की जाए और घोघा से मुंबई के लिए भी एक रो-रो फेरी सर्विस शुरू की जाए। एक हमारा फिशरीज़ के लिए बहुत ही पुराना बंदरगाह है, जो सरतानपर बंदरगाह है। अगर हम उसका भी डेवलेपमेंट कर सकें, तो फिशरीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमारे यहां ऐल्कौक ऐश्डाउन नामक एक कंपनी है। वहां छोटे-मोटे जहाज तो बनते थे, वहां नेवी के भी जहाज बनते थे, लेकिन किसी कारणवश वह अभी बंद हो गए हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने...(व्यवधान) हैंडओवर कर लिया है। लेकिन यह ऐल्कौक ऐश्डाउन भी फिर से कार्यरत हो सके।...(व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में बोलिएगा, क्योंकि समय कम है।

...(<u>व्यवधान</u>)

1941 hours

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, when we are discussing the Major Port Authorities Bill, 2020, we need to take into context the following points.

First, India's rank has declined from 35th to 44th in the 2018 report of the World Bank's Logistics Performance Index. India is way behind Singapore, China, Malaysia and UAE. In the other indices also, the average turnaround time across major ports in India has increased from 59 hours to 62 hours since last year.

Second, the average output per day has reduced from 16,500 tons to 16,100 tons. The third point we should look at is the budgeted Capital Outlay on ports and lighthouses for this year has declined by 75 per cent since last year from Rs. 535 crore to Rs. 135 crore.

I come from Andhra Pradesh where Visakhapatnam Port's traffic share among India's major ports has consistently declined from 2014-15. I understand that there is a need for improving the management of major ports. The provision of this Bill says that port authorities will don the role of landlords – a model widely followed globally wherein the publicly governed port authority acts as a regulatory body and a landlord while private companies carry out their cargo-handling activities.

Principally, the Bill adopts a three-step approach to achieve its objective. First step is through a Board representing the Centre, the States, Railways, Defence, Customs and independent members. Second step is by giving greater autonomy to this Board to make master plans. Third step is by creating transparency in the functioning of the ports through proper accounts which are audited by the C&AG.

The problem with the implementation of this Bill is related to clause 2 of Section 22; clause 3 of Section 22; and clause 2 of Section 25 and Section 26. Basically, it is literally taking away the involvement of the State Government with the Central Government wherein the Board can actually decide on development of the port's master plan and everything. It cannot create an island just by port itself unless we create some sort of a connection through Railways or electricity which has to come through the States. So, we have to take the States' interest

also into consideration. Not only that, even the fishermen also need to be kept in mind because the inland waterways are also developed by the Ports Trust. So, the fishermen and the communities which are dependent on the inland waterways have to be taken into consideration. Just because they are not at the port, they are outside the port, we cannot say that they are not related to it. It has to be taken into consideration.

Regarding Visakhapatnam Port in Andhra Pradesh, the turnaround time has increased in the financial year 2019 because of the unavailability of the train rakes during peak season. We can request the Government to look into this and give the train rakes. Connectivity can be further enhanced by connecting ports to the inland waterways. A pilot project can be taken up by the Government in Visakhapatnam under the Sagarmala Project.

1944 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

Another problem that Visakhapatnam Port faces is that it handles 75 per cent of India's dangerous chemical cargos including Ammonium Nitrate. Even as we are speaking, 40,000 tons of Ammonium Nitrate is waiting to enter the port which is 13 times the amount of what exploded in Beirut. I have already made the request with our MoS for Home Affairs, Mr. G. Kishan Reddy *Garu* and he has already promised to look into it.

(1945/KMR/GG)

I am confident that the Central Government will take note of our suggestion and undertake a positive review of the key performance indicators of the major port.

We as the YSR Congress Party repeat our support for this Bill. We hope that reformed management of the ports will also improve the infrastructure and operational efficiency by taking into consideration the local people and the fishermen communities.

Thank you very much.

(ends)

1945 hours

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, while supporting the Bill, I would like to make a request to the hon. Minister, through you. Just a few weeks ago the Union Government recognised the Paradip Port as number one Major Port of cargo handling. I request the hon. Minister to rename Paradip Port after Odisha's Biju Babu to honour his contribution to developing the Paradip Port.

Sir, it is well known that when Nehru ji refused to give funds to build the Paradip Port, Biju Babu said then, "To hell with the Indian Government! I will build the port with the State Government money or my own money". And he spent Rs.1.6 billion on it. Later Nehru ji sanctioned funds for the project, but it was Biju Babu's greatened vision that ensured Paradip Port becomes a reality.

The maritime growth story started by Biju Babu has been taken to new heights by current Odisha Chief Minister, hon. Shri Naveen Patnaik Sir, who has played a pivotal role in the port-led development of Odisha be it setting up Gopalpur port, Dhamra port, Subarnarekha port, or setting up a Maritime Board in the recent times.

Representations have been made to rename the Paradip Port earlier as well. I reiterate the same demand and request the Government, through you, to rename the port. It would also be a tribute to Odisha's glorious history of sea-fearing and maritime trade.

Sir, my hon. colleague from Biju Janata Dal, Bhartruhari Mahtab ji, gave an amendment on this and he will speak more on that. Thanking you once, I once again request the hon. Minister to consider our request. Thank you so much, Sir.

(ends)

1947 बजे

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय, आपने मुझे इस विधेयक की चर्चा पर भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सरकार द्वारा समुद्री परिवहन के विस्तार एवं उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह विधेयक सदन के समक्ष लाया गया है। इससे विश्व के अनेकों देशों के साथ भारत का व्यापार तथा वाणिज्य सुगम एवं सरल होगा। व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा, प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे त्वरित और पारदर्शी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और व्यापार जगत को इसका लाभ मिलेगा। इससे निष्पादन क्षमता में भी बढ़ोत्तरी होगी।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में समुद्री परिवहन की प्रमुख विशेषता होती है और अधिकांश देश समुद्री मार्गों से जुड़े होते हैं। भारत का तो मूल्य के अनुसार करीब 70 प्रतिशत का व्यापार, यात्रा के अनुसार लगभग 95 प्रतिशत का व्यापार समुद्री मार्गों पर ही निर्भर है। इस क्षेत्र में हम लोग पिछड़ रहे हैं। यही कारण है कि यह विधेयक लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह कानून चेन्नई, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, कांडला, कोलकत्ता, मुंबई, न्यू बैंगलुरु, मोरमुगांव, पाराद्वीप, वियोचिदंबरम और विशाखापतनम जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर लागू होगा। संसदीय स्थायी समिति भी इस पर अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। अत: कानून बनाने से देश की समुद्री परिवहन व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव आएगा। कानून बनाने से प्रत्येक स्थानों पर महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड बनेगा। स्वतंत्र सदस्यों का सुगठित बोर्ड सभी प्रकार के निर्णय एवं भविष्य की योजनाओं पर विचार करने के लिए त्वरित आदेश देगा। यह बोर्ड पीपीई मॉडल पर भी अपना निर्णय देगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वालों पर बोर्ड स्वयं जुर्माना लगाने का निर्णय लेगा, यह बोर्ड अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए पूर्णरूपेण स्वतंत्र भी होगा। यह भारत में व्यापार को सरल और सुगम बनाने में एक अहम भूमिका अदा करने वाला संस्थान होगा।

महोदय, इस कानून के बनने से महापत्तन न्यास अधिनियम सन् 1963 स्वत: निरस्त हो जाएगा। इस नए कानून के तहत एक पूर्ण स्वायत्त एवं स्वतंत्र महापत्तन प्राधिकरण बनने जा रहा है। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। माननीय सदस्य ने पाराद्वीप के बारे में जो कहा है कि बीजू बाबू के नाम पर वह होना चाहिए, इसका भी मैं समर्थन करता हूँ।

(इति)

(1950/SNT/KN)

1950 hours

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me the opportunity to speak on this important Bill.

I am a representative from Tamil Nadu and I am a witness to the growth the State has received from the Chennai port. Being a hub port for containers, cars, cargo, the port's container traffic has crossed one million TEUs and is ranked 86th in the world. With plans to expand its capacity to 140 million tonnes per annum and having direct connectivity to more than 50 ports in the world, it is a major source of trade.

Sir, the major focus of this Bill is modernization, minimum Government and maximum governance, which will lead to boosting of trade. The Bill seeks to ensure greater efficiency by freeing up ports from as much red-tapism as possible while ensuring sufficient accountability by delegating to the port authority full power to enter into contracts, planning and development, and fixing of the tariff.

Sir, finally, I suggest the Government to make some new provisions for the autonomy, transparency, and efficiency for all 205 notified minor and intermediate ports in our country.

With this, I support this Bill. Thank you, Sir.

(ends)

1951 बजे

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): माननीय अध्यक्ष जी, मैं पोत परिवहन मंत्री श्री मनसुख भाई द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करती हूं। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में महापत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन का नवीनीकृत करने के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को प्रस्थापित करना है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में देश की लगातार बढ़ती व्यापार आवश्यकताओं को पूरा करने में 12 महापत्तन और लगभग 200 गैर महापत्तन कार्यरत हैं। वर्ष 1920 के दौरान इन पत्तनों की क्षमता 2398 एमटीपीए थी। यह विभिन्न पत्तनों में नई बर्थों और टर्मिनलों के निर्माण, युक्तिसंगत उपयोग, पत्तन चैनलों में बड़े जलयानों को आकर्षित करने के लिए कर बढ़ाने हेतु कैपिटल ड्रेजिंग जैसी विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के कारण सम्भव हो सका।

सूरत व्यापार के लिए बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। सभी राज्यों और अन्य देशों से यहां व्यापार हो रहा है। सूरत का इतिहास पुराना है। गुजराती में कहावत है। वैसे तो आप दो दिन से गुजराती में बोलने की इजाजत दे रहे हैं। पोत को वहां बंदर कहते हैं। ˣ(84 पोतों पर बिजनेस होता था और जिनसे बिजनेस होता था, उनके फ्लैग वहां पर लगे हुए थे।)

पुराने किले में यह सब इतिहास उपलब्ध है, जहां पुर्तगाल की कोठी भी है, अंग्रेजों ने भी शासन किया था, मुगलसराय भी है। यहां तेजा ना मरी मसाला सच्चे मोतियों का व्यापार होता था सूरत के वाडिया बंधु उस जमाने में शिप बनाते थे, जिसे खरीदने के लिए देश-विदेश से लोग आते थे। शिवाजी महाराज की नौसेना भी यहां तैनात रहती थी। ऐसा पुराने बंदरगाह की वजह से सूरत बड़ा व्यापार क्षेत्र बना।

आज भी सूरत के पास हजीरा में बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। ऐसे शहर में एस्सार, अढानी के प्रावइेट पोर्ट से व्यापार होता है। डायमंड का सबसे बड़ा हीराबुर्स, जो माननीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से सूरत में बनने जा रहा है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, रिलायंस, एस्सार, अढानी जैसे बड़े उद्योगों के लिए यहां बहुत बड़े नए पोर्ट की सम्भावना है। हमारा पुराना मगदल्ला पोर्ट, जिसको इस बिल से बल मिलेगा और मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगी कि इस डेवलपमेंट के बिल आप जो बिल लाए हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।

भारत के महापत्तनों की क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक बीसीजी नियुक्त किया गया था। बेंचमार्किंग अध्ययन में क्षमता का उपयोग प्रभावशाली रूप से किया गया है। महापत्तनों के यातायात की यात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि करने और पूंजीगत व्यय से बचने के लिए 12 महापत्तनों के लिए 116 नई पहलों की पहचान की गई है।

भारत सरकार ने 24 सितंबर, 2018 को ईरान के शाहीद बहेस्ती पत्तन चाबहार का दो वर्षों के प्रचालनों का कार्यभार संभाला है और एक वर्ष का सफल प्रचालन पूरा किया है।

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 में प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ वहां पत्तनों के प्रशासन में काफी सुधार आएगा और शीघ्र निर्माण किए जाएंगे। यह विधेयक महापत्तनों के प्रशासन के लिए

ˣ Original in Gujarati

नए युग की शुरुआत होने की अपेक्षा है, जिसमें महापत्तन आर्थिक विकास में काफी योगदान देंगे और विकास का भूस्वामी मॉडल, जहां प्रमुख अवसंरचना का विकास पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। वाणिज्य प्रचालन निजी कम्पनियों को बोली पर दिया जाएगा, ऐसी नीति अपनाते हुए विश्वस्तरीय पत्तन अवसंरचना प्रदान करेंगे।

परिवहन मंत्रालय ने 31 जुलाई, 2016 से सभी महापत्तनों के लिए नई स्टीवडोरिंग एवं तटसंभलाई नीति कार्यान्वित की है।

(1955/CS/GM)

इस बिल में सुरक्षा निकासी, दिशा-निर्देश, व्यापार करने में आसानी, कंटेनर स्कैनर, रेडियो फ्रीक्वेंसी, आइडेन्टिफिकेशन, पत्तन सामुदायिक प्रणाली, डायरेक्ट पोर्ट डिलिवरी, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, एसआईपीसी, दीनदयाल पत्तन न्याय (डीपीटी), पारादीप पत्तन पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल स्पोर्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, गैर-परंपरागत ऊर्जा, महापत्तनों में सुरक्षा, महापत्तन ऊपर भूस्वामी मॉडल, जेएनपीटी द्वारा महाराष्ट्र के दहानू के वधावन में महापत्तन का विकास, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में प्रथम आधारित एसईजेड का विकास, इन सबका भी इस बिल में प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2020 के लिए मैरिटाइम एजेंडा ने पत्तन प्रचालन सहित कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) को कार्य बंद करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश के आधार पर जिन पाँच पत्तनों को चुना गया है, उसमें मुंबई, दीनदयाल कांडला, कोलकाता, पारादीप और चेन्नई हैं।

मैं बिल का समर्थन करते हुए फिर से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगी कि सूरत में आने वाले दिनों में इस बिल का परिणाम हमें जरूर मिलेगा, जिसमें आपका सहयोग रहेगा। धन्यवाद।

(इति)

1956 बजे

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं नितिन गडकरी जी को भी याद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया और उनके काम को हमारे युवा मंत्री मनसुख एल. मांडविया जी बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। लोग इनसे बहुत खुश हैं और जिनको भी इनसे मिलना होता है, ये तुरन्त उनसे मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनका काम भी करते हैं।

महोदय, मैं इस बिल की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करना चाहूँगा। यह जो बिल है, नये ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने में इससे बहुत परेशानी होती है, इसलिए हम इसमें अमेंडमेंट लाए हैं। इसमें सबसे बड़ा बिन्दु है कि इसमें 13 मेंबर्स होंगे और इसमें चार इन्डिपेन्डेंट मेंबर्स को लेने का प्रावधान हमने किया है। पहले जो बिल थे, जो बोर्ड थे, उसमें कान्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बहुत सारे मेंबर्स थे, इन सारे लोगों को इस नए बिल में निकालने का काम किया है और यह बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से अपने दिल की गहराइयों से मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ। ये सारे जो कान्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लोग थे, इन्होंने सारे पोर्ट ट्रस्ट को अपने हाथ में रखा था और ये ही कामकाज को चलाते थे।

महोदय, सभी डिसिजन बोर्ड के लोग लेंगे और जो डिसिजन लेंगे, उसे 60 दिन में अमल में लाने का प्रयास करेंगे, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। साल में सिर्फ एक बार केन्द्र सरकार को इनको हिसाब देना पड़ेगा। यह बोर्ड कैग के ऐम्बिट में आता है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें सब जगह इसका अमलीकरण आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए पोर्ट में ही व्यवस्था की गई है। वहाँ के जितने भी डिस्प्यूट होंगे, रिटायर्ड जज के माध्यम से उन्हें सुना जाएगा और वे वहीं पर उनका समाधान करेंगे। अगर कोई समाधान नहीं होता है तो फिर सिर्फ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का उनको प्रोविजन है, बीच में कहीं पर भी उनको कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मानता हूँ कि सारे डिस्प्यूट इंटरनली सुलझा लिए जाएंगे और फिर हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत जल्दी फैसला आता है तो यह एक बहुत बड़ी पहल है, ऐसा मैं मानता हूँ।…(व्यवधान)

महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। इस बोर्ड को 50 प्रतिशत लोन लेने का भी अधिकार दिया गया है। हमारे देश के प्रधान मंत्री जो विवाद से विश्वास की बात करते हैं, बजट में जब उन्होंने ऐसा कहा था तो हम किसी के भी दिमाग में यह नहीं आया था कि विवाद से विश्वास क्या हो सकता है, लेकिन बोर्ड को विश्वास देकर आने वाले दिनों में बहुत तेजी से पोर्ट का कामकाज चलेगा।

महोदय, नितिन गडकरी जी हमेशा कहते थे कि रोड पर पाँच लाख से भी ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और पोर्ट में कम से कम दुर्घटनाओं में बहुत ज्यादा से ज्यादा काम होता है, यह भी हमने देखा है।

अंत में, मैं मंत्री महोदय से एक ही निवेदन करूँगा कि देश के प्रधान मंत्री जी वर्ष 2022 तक सबको हक का पक्का घर देने की बात करते हैं, मैंने कल भी जीरो ऑवर में इस मुद्दे को उठाया था, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की जगह पर भी बहुत सारी झोपड पट्टियाँ हैं। उन सारे लोगों को मालिकाना हक देकर उनको घर देने का काम हम लोग करेंगे। मैं झोपड पट्टी में से आता हूँ, मैंने अपने जीवन के 55 साल झोपड़ पट्टी में गुजारे हैं, इसलिए एक लाइन बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे सिस्टम के लोगों को ऐसा लगता है कि यह सारी सरकारी जमीन लोगों ने कब्जा की है। इसमें थोड़ी मात्रा में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जो बीपीटी में काम करने वाले लोग हैं, वहीं बगल में ऑफिसर लोगों ने उनको बसाया है और वे वहाँ पर रह रहे हैं। रेलवे में भी ऐसा ही हुआ है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे लोग देश की सेवा करने के लिए इन सारी जमीनों पर अपना घर बनाकर रहने का काम करते हैं। देश के प्रधान मंत्री जी का सपना है कि वे वर्ष 2022 तक सबको पक्का घर देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

(2000/RV/RK)

2000 बजे

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): सर, आज के इस बिल पर डॉ. भारतीबेन, श्री श्रीकृष्णा देवरायालू, श्री अनुभव मोहंती, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री रविन्द्रनाथ कुमार, श्रीमती दर्शना जरदोश और अन्त में गोपाल शेट्टी जी ने अपने विषय रखे।

माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में, गोपाल शेट्टी जी ने जो कहा, इस बिल को लाने का यह भी एक उद्देश्य है कि पोर्ट में ट्रांसपैरेंसी हो, पोर्ट अपनी ओर से डेवलप हो सके, पोर्ट एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके। पोर्ट के संचालन में सरकार का भी कम से कम रोल और कम से कम भूमिका हो। पोर्ट के बोर्ड ही स्वयं निर्णय ले सकें। गोपाल शेट्टी जी ने सही कहा कि पोर्ट के असेट्स पर जो पंजा था, उस पंजे की वजह से पोर्ट में ऐसे स्थानीय लोग, जिनका उसमें इंटेरेस्ट हो, उन स्थानीय लोगों को बल मिल जाता था। भविष्य में ऐसे लोगों का उस पर पंजा न पड़े, ऐसा प्रावधान मैं इस बिल में लेकर आया हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल में कुल मिलाकर पोर्ट सेक्टर में समय के साथ बदलाव होना आवश्यक है। सभी सेक्टर में बदलाव हो। समय के साथ नई टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, नए सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए क्योंकि देश में 70 प्रतिशत कार्गो 'बाई-वॉल्यूम' पोर्ट से ही आता है, 95 प्रतिशत 'बाई-वैल्यूज़' कार्गो भी पोर्ट से ही आते हैं। इसलिए पोर्ट विकास का एक द्वार बन सकता है। मोदी जी ने सही कहा था - 'नॉट ओनली फॉर पोर्ट, बट पोर्ट-लेड डेवलपमेंट।' पोर्ट का भी विकास करना है और पोर्ट विकास का द्वार बन सकता है। इसे इतिहास साबित करता है कि जहां-जहां पर भी पोर्ट्स थे, वे शहर आज के समय में भी ज्यादा विकसित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन, आज के दिन में जो पोर्ट्स चल रहे थे, वे मेजर पोर्ट्स एक्ट, 1963 के तहत चल रहे थे। पचास साल पहले यह एक्ट बना था। उस समय स्थिति अलग थी। आज की स्थिति बदली हुई है। उस वक्त लैंडलॉर्ड मॉडल नहीं था, पी.पी.पी. मॉडल नहीं था और सारे पोर्ट्स सर्विस मॉडल पर चल रहे थे। पोर्ट में भर्ती पोर्ट के लोग ही करते थे, पोर्ट का संचालन भी पोर्ट के लोग ही करते थे और पोर्ट का मैनेजमेंट भी पोर्ट के लोग ही करते थे। इस प्रकार, सभी चीजें पोर्ट के लोग ही करते थे और उसमें ही उनकी सारी शक्तियों का व्यय होता था। इसलिए डेवलपमेंट की तरफ जो उसकी दिशा जानी चाहिए थी, वह कम हो गई थी। उसे देखते हुए वर्ष 1995 के बाद पी.पी.पी. मॉडल आया। कुल मिलाकर, मेरे पास पोर्ट में 252 बर्थ हैं। उनमें से 70 बर्थ ऐसे हैं, जो कैप्टिव हैं या वे पी.पी.पी. मॉडल पर चल रहे हैं। ऐसे बर्थ में जब प्राइवेट पार्टनर्स आते हैं तो वे टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, बिजनेस लेकर आते हैं। वह वहां सारी व्यवस्था खड़ी करता है और अपना सारा बिजनेस और कारोबार वहां चलाता है। जब प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं और उनके साथ कंसेसन एग्रीमेंट्स होते हैं तो कई बार ऐसा भी आता है कि जब कोई बिजनेस पार्टनरशिप में चलता है तो उसमें डिस्प्यूट्स भी खड़े हो जाते हैं। उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की व्यवस्था पहले वाले बिल में नहीं थी। अगर कोई डिस्प्यूट होता

है तो उसे कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हम इस बिल में प्रावधान लाये हैं, जिससे कि भविष्य में हम पोर्ट्स को अच्छी तरह से चला सकें।

सर, हर पोर्ट के पास लैंड है। वहां उसका उपयोग पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए हो सकता है। वहां पोर्ट-लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। उसके लिए पोर्ट का उपयोग करना आवश्यक होता है।

सर, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि आज अफ्रीका से लकड़ी आती है। 70 प्रतिशत लकड़ी कांडला पोर्ट पर आती है। चीन में भी उसी अफ्रीका से लकड़ी जाती है। वहां उस लकड़ी से फर्निचर्स बनते हैं और सारी दुनिया फर्नीचर्स खरीदने के लिए चीन जाती है। क्या हम अपने देश में फर्नीचर्स पार्क नहीं बना सकते? कांडला पोर्ट पर भी उसी रूट से लकड़ी आती है। वहां के लोग ट्रैडीशनली वुड्स इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे सभी मेजर पोर्ट्स पर एक-एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके 'वन पोर्ट वन इंडस्ट्री' के आधार पर उसे कैसे डेवलप कर सकेंगे? जब ऐसा करना है तो उसके लिए उसके पास कुछ स्वायत्तता होनी चाहिए। आज मेजर पोर्ट के साथ-साथ प्राइवेट पोर्ट्स भी आ गए हैं। नॉन-मेजर पोर्ट्स भी हैं और उनके बीच में कम्पीटिशन भी होता है। इसलिए उनके बीच हेल्दी कम्पीटिशन होना चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं, जब किसी पोर्ट को डिसीजन लेना होता है, जैसे बगल में कोई दूसरा पोर्ट है, उसने टैरिफ कम कर दिया और सरकारी पोर्ट पर टैरिफ ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसे उसके लिए परमिशन लेने के लिए सरकार तक आना पड़ता है। जब उन्हें स्वयं डिसीजन लेकर टैरिफ को कम करना है तो वे टैरिफ कम नहीं कर सकते थे। इस बिल के माध्यम से हम पोर्ट को स्वायत्तता देना चाहते हैं।

(2005/MY/PS)

उस डिसीजन के आधार पर वे भी आगे बढ सकें। इसके लिए हम इस महापत्तन प्राधिकरण विधेयक के माध्यम से काम करने जा रहे है।

महोदय, जब मैं यह बिल लोक सभा में इंट्रोड्यूस कर रहा था, अभी प्रतिपक्ष के लोग यहाँ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक चिंता जताई थी। उसके बारे में मैं सदन में स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ कि आज हमारे पोर्ट्स में करीब एक लाख बारह हजार पेंशनर्स हैं। आज हमारे पोर्ट्स में कुल 28 हजार एम्प्लाईज हैं। उस वक्त एक बात कही गई थी कि इस बिल के आने से उनके हितों का नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं लोक सभा के फ्लोर पर यह क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पोर्ट्स के बारे में ऐसी स्थिति नहीं है।

एक समय था, जब कोलकाता पोर्ट में 10 हजार पेंशनर्स थे। पाँच साल पहले जब वर्ष 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस वक्त कोलकाता से लोग दिल्ली आते थे। यहाँ पर आकर हमारे सामने वे लोग अपना विषय रखते थे कि हमारा पोर्ट बंद नहीं होना चाहिए, हमारा पोर्ट बंद हो रहा है, हमारा पोर्ट घाटे में हैं। लेकिन, विगत पाँच सालों में पोर्ट सेक्टर में जो काम किया गया है, उससे आज कोलकाता पोर्ट घाटे में नहीं है, बल्कि वह प्रॉफिट में है। कोलकाता पोर्ट के 10 हजार पेंशनर्स की पेंशन को एलआईसी में सुनिश्चित किया गया है। कुल पोर्ट्स को मिलाकर हमारे जो 28 हजार एम्प्लाईज हैं, उनके हितों का कोई नुकसान नहीं होगा। उनके पेंशन के संबंध में कोई भी चिंता

नहीं करनी चाहिए। हमारे एम्प्लाईज की तनख्वाह में कोई कमी नहीं की जाएगी। सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए, पोर्ट्स को स्वायत्ता देकर उनको काम्पीटीटिव बनाया जाएगा। इसके लिए मैं यह बिल लेकर आया हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि सदन उसको पारित करे।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत में महापत्तनों के विनियमन, प्रचालन और योजना के लिए तथा महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों में ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को निहित करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

माननीय सदस्यगण, इस विधेयक पर अनेक सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, लेकिन केवल श्री बी. महताब जी सभा में उपस्थित हैं, इसलिए केवल उन्हीं को संशोधन प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, बाकियों के नाम नहीं बुलाए जाएंगे।

खण्ड 2

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब जी, क्या आप संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, I may be allowed to move my Amendment No. 27. Along with the same, I have something to say in a limited time.

This Bill aims at reorienting the governance model in central ports to landlord port model in line with the successful global practice. The Bill was first introduced in the year 2016. The Standing Committee deliberated on it and gave a Report in the year 2017. An amended Bill was introduced in 2019 or first part

of 2019. The House was dissolved and again, in March, 2020, this Bill had been introduced. At the time of introduction, I had also raised certain issues, which have not been considered as yet.

The first Amendment that I want to propose before this Government, in this House, is that the composition of the Board of Major Port Authority -- constituted under Clause 3 of the Bill -- is heavily in favour of private persons. Besides, the States have been given very little representation in the Board.

Therefore, I am proposing that a Member of each House of Parliament should be represented on the Board from all the States which have major ports.

I beg to move:

Page 4, *after* line 20, -

insert "(g) one Member of each House of Parliament from the States that have a major port". (27)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 27 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(2010/CP/SNB)

खंड 4

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब जी**,** क्या आप संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करना चाहते हैं**?**

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सर**,** विधेयक में है, two members representing the interest of the employees of the major Port Authority, यह लिखा है। हमने कहा जो पोर्ट में वर्क कर रहा है, उसी को मेंबर बनाया जाए। Not members representing the interest. मैं अमेंडमेंट मूव कर रहा हूं:

पृष्ठ 5, पंक्ति 1 और 2,-
"ऐसे व्यक्तियों और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,"
के स्थान पर
"संघ सरकार में पोत परिवहन मंत्री और उस प्रत्येक राज्य जहां महापत्तन है, की सरकार द्वारा नामांकित एक मंत्री।"
प्रतिस्थापित करें। (28)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:
"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।
खंड 5 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 21

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब जी, क्या आप संशोधन संख्या 29 और 30 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सर, संशोधन संख्या 29 और 30 में बस एक करेक्शन हमने डिलीट करने के लिए कहा है, जिसमें without the previous sanction of the Central Government, ये दोनों लाइनें मैंने कहा है कि इनको डिलीट करिए। सीधा ट्रस्ट को इसकी पॉवर दी जाए। मैं अमेंडमेंट मूव कर रहा हूं।

पृष्ठ 9, पंक्ति 25,-
"केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना।"

का लोप करें (29)

पृष्ठ 9, पंक्ति 32,-
"केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना।"

का लोप करें (30)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 और 30 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 से 76 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2015/NK/RU)

विदाई संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सत्रहवीं लोकसभा का चौथा सत्र आज समाप्त हो रहा है। यह मानसून सत्र कई अर्थों में ऐतिहासिक रहा है। आप सभी माननीय सदस्यों ने कोरोना महामारी के खतरे के बावजूद अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों को सर्वोपरि रखा और देर रात तक बैठकर विधायी कार्य किए। आपने पूरे सत्र के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन किया है, इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूँ। आपके सक्रिय सहयोग और सकारात्मक भागीदारी के कारण ही इस सत्र में सदन ने कार्य-उत्पादकता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वैश्विक महामारी के दौरान भी इस सत्र में सदन की कार्य उत्पादकता 167 प्रतिशत रही है जो अन्य सत्रों की तुलना में अधिक है। इस उपलब्धि के लिए आप सभी माननीय सदस्य बधाई के पात्र हैं। वर्तमान परिस्थितियों के कारण इस बार सदन के साथ-साथ पूरे संसद भवन परिसर में संक्रमण से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए।

देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि माननीय सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों (लोक सभा एवं राज्य सभा) के कक्षों और इनकी दीर्घाओं से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया, जैसा कि आप सभी को विदित है कि मानसून सत्र 14 सितम्बर, 2020 को आरंभ हुआ। इस सत्र के दौरान, हमने 10 बैठकें की जो बिना किसी अवकाश के शनिवार और रविवार को भी आयोजित की गई। इन बैठकों के लिए निर्धारित कुल 37 घंटों की तुलना में कुल 60 घंटे की कार्यवाही संपन्न हुई। इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी और अन्य कार्यों का भी निपटान हुआ। सत्र के दौरान 68 प्रतिशत समय में विधायी कार्य किए गए, जबकि शेष 32 प्रतिशत में गैर-विधायी कार्य किए गए। वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच और वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा 4 घंटे 38 मिनट तक चली। तद्नुसार विनियोग विधेयक भी पारित किए गए। वर्तमान सत्र के दौरान, 16 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। कुल मिलाकर 10 बैठकों में 25 विधेयक पारित हुए। इन सभी विधेयकों पर चर्चा हुई। सदन में पारित हुए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक थे, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020.

इस सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्न सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई। तदनुसार माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए 2300 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

इस सत्र में माननीय सदस्यों ने शून्य काल में 370 लोक महत्व के मामले उठाए। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि 20 सितम्बर, 2020 को शून्य काल में देर रात तक बैठकर कुल 88 माननीय सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। सत्र में बैलट के अलावा 230 सदस्यों को भी अपने विषय उठाने का अवसर मिला।

माननीय सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन लोक महत्व के 181 मामले भी उठाए गए। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों पर मंत्रालय द्वारा शीघ्र उत्तर प्राप्त करने के लिए पहल की गई, जिसके परिणामस्वरूप पंद्रहवीं लोक सभा में जहां 77 प्रतिशत उत्तर प्राप्त होते थे, वहीं सत्रहवीं लोक सभा में 98.34 प्रतिशत उत्तर मंत्रालयों से माननीय सदस्यों को प्राप्त हुए हैं। मेरा यह निरंतर प्रयास रहा है कि माननीय सदस्यों को मंत्रालयों से एक माह की निर्धारित अवधि के अंदर उत्तर प्राप्त हो सकें। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 40 वक्तव्य दिए गए। इसमें कोविड-19 महामारी, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लद्दाख सीमा के पास घटित हो रहे घटनाक्रम पर संबंधित मंत्रियों द्वारा वक्तव्य शामिल हैं। इस सत्र के दौरान, संबंधित मंत्रियों ने कुल 855 पत्र सभा पटल पर रखे। सभा में देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत एक अल्पकालिक चर्चा भी की गई जो 5 घंटे और 8 मिनट तक चली। चर्चा संबंधित मंत्री के उत्तर के साथ समाप्त हुई। इस सत्र में, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने और विधायी कार्य संपन्न करने के लिए सभा की कार्यवाही निर्धारित समय के अतिरिक्त 23 घंटे से अधिक देर तक चली।

मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन से सभा का आयोजन सफलतापूर्वक करने में सहायता मिली। मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल मेरे माननीय सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं और लोक सभा एवं राज्य सभा के सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी सहयोग के लिए अत्यधिक कृतज्ञ हूँ।

मैं सदन की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवाओं के लिए एन.आई.सी., लोक सभा टीवी, राज्य सभा टीवी, लोक सभा और राज्य सभा के महासचिव और लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। सत्र के सुचारू रूप से आयोजन के लिए दोनों सचिवालयों के बीच कई दौर की बैठकें हुईं।

(2020/SK/NKL)

उनके लिए हमने प्रयास किया कि सुरक्षा के अपेक्षित परिणाम आएं।

संसद भवन को संक्रमण मुक्त रखने में सहयोग करने एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मैं संबंधित मंत्रालयों, विभागों और अन्य एजेंसियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं क्योंकि अब "वन्दे मातरम्" की धुन बजाई जाएगी।

(राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

2021 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।